

अध्याय – II

मूल्यवर्द्धित कर/बिक्री, व्यापार
आदि पर कर

कार्यकारी सारांश

कर संग्रहण में सीमांत वृद्धि	वर्ष 2010-11 में मू.व.क./के.वि.क. में पिछले वर्ष की अपेक्षा 24.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसे विभाग द्वारा कुशल एवं प्रभावी कर प्रशासन का होना बताया गया।
आन्तरिक अंकेक्षण का संचालन नहीं किया जाना	यद्यपि वा.क.आ. कार्यालय में एवं प्रमण्डलीय स्तर पर एक अंकेक्षण शाखा स्थापित की गयी थी एवं आंतरिक अंकेक्षण हेतु मार्गदर्शिका अधिसूचित कर दी गयी (जुलाई 2011) परन्तु यह अभी भी पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं था एवं अक्टूबर 2011 तक इसे वित्त विभाग (वि.वि.) द्वारा ही विनियमित एवं नियंत्रित किया गया। तथापि, वित्त विभाग द्वारा संचालित अंकेक्षण से सम्बन्धित सूचना अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया।
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा इंगित अवलोकनों के विरुद्ध विभाग द्वारा अत्यन्त अल्प वसूली	वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान हमने 1,832 मामलों में ₹ 2,639.02 करोड़ के राजस्व प्रभाव के कर का नहीं/अल्पारोपण, अनुदग्रहण/अल्पोदग्रहण, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, आवर्त का संगोपन/छिपाव, कर के गलत दरों का अनुप्रयोग, गलत अभिकलन इत्यादि बताया। जिसमें विभाग ने 238 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 314.86 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया परन्तु ₹ 80.63 करोड़ की ही वसूली की गयी। वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान स्वीकार किए गये आपत्तियों की तुलना में वसूली की स्थिति 16.28 एवं 53.70 प्रतिशत के बीच रहा।
हमारे द्वारा वर्ष 2010-11 में संचालित लेखापरीक्षा के परिणाम	<p>वर्ष 2010-11 में हमने 24 इकाईयों की बिक्री कर/मू.व.क. से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं 400 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 470.62 करोड़ के कर, अर्थदण्ड के अनुदग्रहण/अल्पोदग्रहण का पता चला।</p> <p>वर्ष 2010-11 के दौरान हमारे द्वारा इंगित 62 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 324.03 करोड़ के अनुदग्रहण/अल्पोदग्रहण/कर का अल्पारोपण एवं अन्य त्रुटियों को विभाग ने स्वीकार किया। वर्ष 2010-11 में छः मामलों में ₹ 4.17 करोड़ की राशि वसूल किया जिसमें वर्ष 2010-11 के एक मामला में ₹ 4.13 करोड़ सन्निहित था।</p>
इस अध्याय में हमने जिन विशिष्टताओं को उद्घटित किया	<p>इस अध्याय में हम “अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता” पर एक समीक्षा प्रस्तुत करते हैं जिसमें अभिलेखों की नमूना जाँच एवं दूसरे राज्यों से लेन-देन की तिर्यक जाँच में हमें अप्राधिकृत प्रपत्रों के उपयोग, क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाव, कर की रियायती दर की अनियमित स्वीकृति इत्यादि मामले का पता चला। उपर्युक्त के अलावे, उ.वा.क./स.आ.वा.क. के कार्यालयों के मू.व.क./वि.क. के कर निर्धारण एवं संग्रहण सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये चयनित अवलोकनों के ₹ 216.15 करोड़ के दृष्टान्तस्वरूप मामलों को भी दर्शाया जिसमें हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।</p> <p>यह चिन्ता का विषय है कि हमारे द्वारा पिछले कई वर्षों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार इस तरह की चूकें हमारे द्वारा इंगित की गयी हैं, परन्तु विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी।</p>
हमारा निष्कर्ष	विभाग के आंतरिक नियंत्रण पद्धति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है जिससे पद्धति की कमजोरियाँ दूर हो सकें एवं हमारे द्वारा पता लगाये जाने वाली चूकों की प्रकृति को भविष्य में टाला जा सके। हमारे द्वारा इंगित कर के अनुदग्रहण, अवनिर्धारण इत्यादि के मामलों, में विशेषकर उन मामलों में जिसमें हमारे तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है, वसूली हेतु त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

अध्याय – II : मूल्यवर्द्धित कर/ बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यकर जिसमें बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर इत्यादि शामिल है, का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड वित्त (झा.वि.) अधिनियम, 2001 (1 अप्रैल 2006 से निरस्त), झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005 एवं केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 द्वारा शासित है। वाणिज्यकर के सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में इन अधिनियमों /नियमों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। उन्हें वाणिज्यकर अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त, निगरानी एवं अनुश्रवण तथा अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त आयुक्त के साथ अन्य वाणिज्यकर उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है। वा.क.उ. (मुख्यालय) वा.क.वि. में कम्प्यूटराईजेशन के संयोजक होते हैं।

राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमण्डलों¹, प्रत्येक के प्रभारी वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं 28 अंचलों², प्रत्येक के प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त/सहायक आयुक्त, (वा.क.उ./ वा.क.स.आ.) में विभाजित है। अंचल के वा.क.उ. /वा.क.स.आ. जिन्हें अन्य वाणिज्यकर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर के आरोपण एवं संग्रहण के अलावे बाजार सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक प्रमण्डल में वा.क.स.आ. (प्रशासन) के सहयोग के लिए एक वाणिज्यकर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो पदस्थापित होते हैं एवं मुख्यालय के सीधे नियंत्रण में प्रत्येक प्रमण्डल में एक वा.क.उ. (निगरानी एवं अनुश्रवण) पदस्थापित होते हैं।

2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति


वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मू.व.क. से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ उसी अवधि में कर की कुल प्राप्तियों को निम्न तालिका एवं ग्राफ में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण वृद्धि(+)/कमी (-)	विचरण का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर की प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक बिक्री कर/ मू.व.क. की प्रतिशतता
2006-07	2,458.00	2,556.90	(+) 98.90	(+) 4.02	3,188.50	80
2007-08	2,789.83	2,845.88	(+) 56.05	(+) 1.97	3,473.55	82
2008-09	3,715.00	2,996.20	(-) 718.80	(-) 19.35	3,753.21	80
2009-10	4,200.00	3,597.20	(-) 602.80	(-) 14.35	4,500.12	80
2010-11	4,503.00	4,473.43	(-) 29.57	(-) 0.66	5,716.63	78

¹ घनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं राँची ।

² आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुण्डा, देवघर, घनबाद, धनबाद नगरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नगरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहेबगंज, सिंहभूम एवं तेनुघाट।



वर्ष 2010-11 के दौरान बजट अनुमान के विरुद्ध हास का कारण विभाग द्वारा डीजल पर कर की दर में कमी एवं अनाज एवं अन्य सम्बन्धित वस्तुओं पर कर से छूट का होना बताया गया।

2.3 संग्रहण की लागत

बिक्री कर/मू.व.क. प्राप्तियों के सकल संग्रहण, इनके संग्रहण पर किए गये व्यय एवं वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता नीचे दर्शाये गये है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	पूर्ववर्ती वर्षों के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2006-07	2,556.90	14.29	0.56	0.91
2007-08	2,845.88	16.66	0.59	0.82
2008-09	2,996.20	24.88	0.83	0.83
2009-10	3,597.20	31.17	0.87	0.88
2010-11	4,473.43	37.48	0.84	0.96

स्रोत: वर्ष 2010-11 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं विभागीय आँकड़े।

2.4 आन्तरिक अंकेक्षण शाखा के कार्यकलाप

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य राजस्व) वर्ष 2008-09 की कंडिका 2.2.6 में वाणिज्यकर विभाग में आन्तरिक अंकेक्षण के असंचालन के सम्बन्ध में बताया गयी थी। विभाग ने अब सूचित किया है कि वा.क.आ. कार्यालय एवं प्रमण्डलीय स्तर पर एक अंकेक्षण शाखा स्थापित की गयी है। यद्यपि आंतरिक अंकेक्षण हेतु मार्गदर्शिका अधिसूचित कर दी गयी है (जुलाई 2011), अंकेक्षण शाखा अभी भी पूर्णरूप से क्रियाशील नहीं है एवं अबतक (अक्टूबर 2011) इसे वित्त विभाग (वि.वि.) द्वारा ही विनियमित एवं नियंत्रित किया जा रहा है। तथापि, वित्त विभाग द्वारा संचालित अंकेक्षण से सम्बन्धित सूचना अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

विगत पाँच वर्षों (2005-06 से 2009-10) के दौरान हमने 1,832 मामलों में ₹ 2,639.02 करोड़ राजस्व प्रभाव से सम्बन्धित कर का नही/कम लगाया जाना, कर का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत छूट, आवर्त का संगोपन/छिपाव, कर के गलत दर का अनुप्रयोग, गलत अभिकलन, इत्यादि बताया। इनमें से विभाग/सरकार ने 238 मामलों में अर्न्तग्रस्त ₹ 314.86 करोड़ को स्वीकार किया एवं ₹ 80.63 करोड़ की वसूली की। कितने मामलों में वसूली की गयी, विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया। विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दर्शाये गये है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्तिग्रस्त राशि		स्वीकृत राशि		वसूली गयी राशि	स्वीकृत राशि के विरुद्ध वसूली गयी राशि का प्रतिशत
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि		
2005-06	22	371	608.39	34	1.78	5.03	282.58
2006-07	20	262	428.80	36	36.66	19.80	53.70
2007-08	19	446	663.08	84	138.42	22.54	16.28
2008-09	17	228	298.33	53	131.51	24.65	18.74
2009-10	22	525	640.42	31	6.49	8.61	132.66
कुल	100	1,832	2,639.02	238	314.86	80.63	

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान, स्वीकार किए गये आपत्तियों की तुलना में वसूली की स्थिति 16.28 एवं 53.70 प्रतिशत के मध्य रहा।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को वसूली की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए ।

2.6 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को राजस्व के बकाये की राशि ₹ 1,737.74 करोड़ था, जिसमें ₹ 751.01 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राजस्व के बकाये की वर्ष-वार स्थिति नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	बकाया का अंतिम शेष
2006-07	1,296.65	1,256.80
2007-08	1,256.80	1,261.41
2008-09	1,261.41	1,737.21
2009-10	1,737.21	1,856.26
2010-11	1,856.26	1,737.74

विभाग ने वर्ष के दौरान बकाये में संयोजन एवं निपटान के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी। जैसा कि विभाग ने सूचित किया, ₹ 1,737.74 करोड़ में से ₹ 60.19 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किए गये। ₹ 1,125.49 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी थी। शेष ₹ 552.06 करोड़ के बकाये के सम्बन्ध में

की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (फरवरी 2012) ।

अतएव, उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि कुल बकाये राशि का 64.76 प्रतिशत न्यायालयों में अथवा सरकार के स्तर पर निपटान हेतु लंबित था। बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को प्रयुक्त कर भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूलनीय राशि, कुल बकाये राशि का मात्र 3.46 प्रतिशत निपटान हेतु लंबित था।

बकाये के मामलों का त्वरित निपटान हेतु सतत अनुश्रवण एवं बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को प्रयुक्त कर भू-राजस्व के बकाये की तरह बकाये की वसूली हेतु विभाग को निर्देश जारी करने हेतु सरकार विचार कर सकती है।

2.7 कर निर्धारणों में बकाये

वर्ष 2010-11 के प्रारम्भ में लंबित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामलों, वर्ष के दौरान निष्पादित किए गये मामले एवं वर्ष के अन्त में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या का विस्तृत विवरण जैसा कि वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, नीचे तालिका में दर्शाये गये हैं:

प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2010-11 के दौरान निर्धारण योग्य नये मामले	निर्धारण हेतु कुल अपेक्षित मामले	वर्ष 2010-11 के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 3 से 5 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
21,126 ³	65,864	86,990	69,097	17,893 ⁴	21

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 21 प्रतिशत कर निर्धारण निष्पादन हेतु लंबित थे, फलस्वरूप इन मामलों में राजस्व के तत्संबंधी उद्ग्रहण में विलम्ब हुआ। निर्धारण हेतु लंबित मामलों के निष्पादन हेतु कार्य योजना की सूचना अनुरोध के बावजूद (सितम्बर 2011) प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.8 संग्रहण का विश्लेषण

वर्ष 2010-11 की अवधि में मू.व.क./बिक्री, व्यापार आदि पर कर, कर निर्धारण के पूर्व चरण पर तथा नियमित कर निर्धारण के पश्चात्, कर के कुल संग्रहण तथा विगत दो वर्षों के सुसंगत आँकड़ों का विघटन, जैसा कि वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्धारण के पूर्वचरण पर संग्रहित राशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् संग्रहित राशि	कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड	प्रत्युपित राशि	विभाग के अनुसार निवल संग्रहण (2+3-5)	वित्त लेखे के अनुसार निवल संग्रहण	कॉलम 7 से 2 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	2,797.40	54.07	0.56	0.47	2,851.00	2,996.20	93.36
2009-10	3,319.44	84.74	0.82	0.06	3,404.12	3,597.20	92.27
2010-11 ⁵	4,446.53	98.59	2.53	0.07	4,545.05	4,497.77	98.86

³ वर्ष 2009-10 के दौरान विभाग ने अन्त शेष में 10,941 मामले प्रतिवेदित किया तथापि वर्ष 2010-11 के प्रारम्भिक शेष में बकाए निर्धारण के मामलों 21,126 दर्शाया है ।

⁴ विभाग द्वारा प्रतिवेदित अन्त शेष (18,005 मामले) एवं अन्त शेष के वास्तविक योग (17,893 मामले) में 112 मामले की भिन्नता थी ।

⁵ वर्ष 2010-11 के आँकड़ों में मू.व.क., विलासिता कर एवं प्रवेश कर के अन्तर्गत संग्रहित राशि सम्मिलित है।

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान नियमित कर निर्धारण के पश्चात् विभाग ने ₹ 237.40 करोड़ का संग्रहण किया जब कि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान चयनित मामलों के नमूना जाँच के क्रम में ₹ 1,409.37 करोड़⁶ देय कर का पता लगाया जो लगभग छः गुणा अधिक था।

हमारे द्वारा नियमित कर निर्धारण के सदृश्य मात्र नमूना जाँच के क्रम में भारी राशि के राजस्व निः सरण का पता लगाया जाना इंगित करता है कि सरकार को कर प्रशासन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

2.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010-11 के दौरान हमने 24 इकाईयों में मू.व.क./बिक्री, व्यापार आदि पर कर से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं 400 मामलों में ₹ 470.62 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता (एक समीक्षा)	1	104.04
2	कर का नहीं या कम लगाया जाना	122	195.20
3	कर से छूट की अनियमित स्वीकृति	113	88.04
4	कर के गलत दरों का अनुप्रयोग	36	20.19
5	अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	56	10.13
6	आवर्त के गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण	21	18.69
7	कर की रियायती दर की अनियमित स्वीकृति	14	1.14
8	अतिरिक्त कर और अधिभार का नहीं अथवा कम लगाया जाना	3	0.29
9	कर के अधिक संग्रहण हेतु अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना/ कर की संगणना में त्रुटि	9	2.57
10	अन्य मामले	25	30.33
कुल		400	470.62

वर्ष के दौरान विभाग ने 2010-11 में हमारे द्वारा बताये गये 62 मामलों में ₹ 324.03 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। वर्ष 2010-11 में विभाग ने लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर छः मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 4.17 करोड़ की वसूली की जिसमें एक मामले में अन्तर्ग्रस्त ₹ 4.13 करोड़ वर्ष 2010-11 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे।

इस अध्याय में हम “अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता” पर एक समीक्षा सहित वसूली योग्य ₹ 320.19 करोड़ वित्तीय प्रभाव के दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सरकार/विभाग ने ₹ 320.02 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार कर लिया। इनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है:

⁶ लेखा परीक्षा द्वारा पता लगाये गये देय कर के मामले वर्ष 2008-09 के दौरान: ₹ 298.33 करोड़, वर्ष 2009-10: ₹ 640.42 करोड़ एवं वर्ष 2010-11 : ₹ 470.62 करोड़।

2.10 अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता

विशिष्टताएँ

- केन्द्रीय घोषणा प्रपत्रों के भौतिक सत्यापन के लिए कोई पद्धति नहीं थी जिसके फलस्वरूप इन प्रपत्रों की संख्या में कमी और इनके दुरुपयोग का जोखिम था। यह राजस्व की हानि की संभावना से संबद्ध है।

(कंडिका 2.10.7 और 2.10.8)

- टैक्स इनफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम (टिनेक्सिस) की वेबसाइट पर आँकड़ों को अपलोड नहीं किया गया।

(कंडिका 2.10.10.3)

- विवरणियों की संवीक्षा के क्रम में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता का सत्यापन नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 2.40 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 3.55 करोड़ का केन्द्रीय बिक्री कर (के. बि.क.) का नहीं/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.12)

- अन्य राज्यों से प्राप्त किए गये आँकड़े/सूचनाओं की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान राज्य की चार वाणिज्यकर अंचलों के चार व्यवसायियों के द्वारा ₹ 8.51 करोड़ के क्रय/भंडार प्राप्ति का नहीं/कम लेखापित किया गया, जिसके फलस्वरूप ₹ 2.04 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.86 करोड़ के के.बि.क. का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.13.1 और 2.10.13.2)

- अन्य राज्यों से प्राप्त किए गये आँकड़े/सूचनाओं की तिर्यक जाँच से पता चला कि वर्ष 2006-08 के दौरान राज्य के पाँच वाणिज्यकर अंचलों के नौ व्यवसायियों के द्वारा ₹ 24.62 करोड़ के विक्रय आवर्त का नहीं/कम लेखापित किए जाने के फलस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.96 करोड़ के के.बि.क. का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.13.3)

- नौ वाणिज्यकर अंचलों के 20 व्यवसायियों के कर निर्धारण में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा गलत कर रियायत/छूट की अनुमति देने के फलस्वरूप ₹ 24.10 करोड़ के के.बि.क. का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.14.1)

- वर्ष 2003-04 से 2008-09 के दौरान अन्य राज्यों से ₹ 28.56 करोड़ मूल्य के खाद्य तेल, लौह अयस्क, मोटर पार्ट्स, संगमरमर एवं फास्ट मुविंग कमोडिटी गुड्स (एफ.एम. सी.जी.) का क्रय/भंडार प्राप्तियों की तिर्यक जाँच से राज्य के 15 वाणिज्यकर अंचलों में निर्बंधित 47 व्यवसायियों के द्वारा 96 अनधिकृत प्रपत्र 'सी' और 21 अनधिकृत प्रपत्र 'एफ' के उपयोग का पता चला जिसके फलस्वरूप ₹ 3.48 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 4.88 करोड़ के के.बि.क. का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.10.14.3)

- विवरणियों के दाखिल करने के क्रम में घोषणा प्रपत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं बनाये जाने के कारण 13 व्यवसायियों के मामले में ₹ 53.17 करोड़ के ब्याज और अर्थ दण्ड का आरोपण नहीं हुआ।


(कंडिका 2.10.15)

2.10.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर (निबंधन एवं आवर्त) नियमावली, (के.बि.क. नियम) 1957 एवं केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के प्रावधानों के तहत निबंधित व्यवसायियों को विहित घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं प्रपत्र 'एफ' इत्यादि के प्रस्तुत करने पर अन्तरराज्यीय लेन-देन पर कर से रियायत और छूट के योग्य हैं। राज्य सरकार वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ाने हेतु व्यवसायियों को इन प्रोत्साहनों की अनुमति प्रदान करता है। वाणिज्य कर विभाग, (वा.क.वि.) झारखण्ड सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि इन सभी घोषणाप्रपत्रों का सही सही लेखा-जोखा करना सुनिश्चित करे एवं घोषणा प्रपत्रों और प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग से बचने के विरुद्ध उपयुक्त उपाय करें, जिस पर कर राहत की स्वीकृति दी जाती है जिसमें राजकोष की राजस्व की वृहत राशि सन्निहित है।


प्रपत्र 'सी'

केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक निबंधित व्यवसायी अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में अन्य निबंधित व्यवसायियों को किसी प्रकार की वस्तुएँ, जो क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट है, की बिक्री करता है, तो ऐसे आवर्त पर मार्च 2007 तक चार प्रतिशत, अप्रैल 2007 से मई 2008 तक तीन प्रतिशत एवं जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने का दायी होगा बशर्ते ऐसी बिक्री घोषणा प्रपत्र 'सी' से समर्थित हो।



प्रपत्र 'एफ'

के.बि.क. (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 6 ए के अन्तर्गत किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा वस्तुओं की बिक्री के अतिरिक्त राज्य के बाहर अवस्थित अपने किसी व्यवसाय स्थल या अपने अभिकर्ता या दूसरे राज्य में व्यवसाय प्रमुख को स्थानान्तरित वस्तुओं पर, प्रेषण के साक्ष्य सहित समुचित रूप से भरे हुए एवं प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित, जैसा भी मामला हो, विहित घोषणा प्रपत्र 'एफ' दाखिल करने पर कर के आरोपण से छूट प्राप्त है। मई 2002 तक प्रपत्र 'एफ' में घोषणा दाखिल किया जाना अनिवार्य नहीं था। तथापि, के.बि.क. अधिनियम निर्धारण पदाधिकारी (नि.प्रा.) को स्वयं की संतुष्टि के लिए जैसा भी वह आवश्यक समझें ऐसी बिक्री पत्ती के वास्तविक स्थानान्तरण, प्रेषण के विवरण, मार्ग विपत्र आदि की जाँच के लिए प्रावधान करता है। के.बि.क. नियमावली, 1957 के नियम 12 (5) के अंतर्गत प्रपत्र 'एफ' विहित किया गया है। नियम 12 (5) के उपबन्ध के अनुसार एक माह के स्थानान्तरण के सभी लेन-देनों के लिए एक ही प्रपत्र 'एफ' का उपयोग किया जा सकता है।



2.10.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- घोषणा प्रपत्रों के निर्गमन एवं अभिरक्षा के लिए सुस्पष्ट प्रणाली विद्यमान है;
- नि.प्रा. द्वारा प्रदत्त कर से छूट एवं रियायत मूल घोषणा प्रपत्र से समर्थित थी ;
- कर के अपवंचन को रोकने के लिए प्रपत्रों की प्रमाणिकता का पता लगाने की कोई प्रणाली है;
- टैक्स इनफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम (टिनेक्सिस) वेबसाइट पर विवरण अपलोड करने की कोई प्रणाली है तथा प्रपत्रों की परिशुद्धता की जाँच के लिए इनमें उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग किया जाता है;

⁷ विक्रय पत्ती - बिक्री टिप्पणियाँ अन्तरराज्यीय कन्साईनमेंट द्वारा की गई बिक्री की पूर्ण विवरण सहित स्वामित्व प्रलेख के हस्तांतरण को परिभाषित करता है।

- जाली, अमान्य एवं त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों (बिना उचित एवं अपर्याप्त विवरण के) की प्राप्ति एवं पहचान होने पर समुचित कदम उठाये गये हैं; एवं
- प्रभावी एवं यथेष्ट आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है ।

2.10.3 लेखापरीक्षा का आधार

समीक्षा निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत बनाये गये प्रावधानों के संदर्भ में संचालित की गई :

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एण्ड टर्नओवर) नियमावली, 1957;
- केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006;
- झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2006;
- झारखण्ड वित्त अधिनियम, 2001; और
- समय-समय पर जारी कार्यपालिका एवं विभागीय आदेश।

2.10.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली

नवम्बर 2010 से अगस्त 2011 तक संचालित लेखापरीक्षा के क्रम में नौ वाणिज्यकर अंचलों⁸ के एवं वर्तमान साथ ही पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा चक्र में वर्ष 2006-11 के दौरान निष्पादित कर निर्धारणों के सम्बन्ध में “अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता” पर समीक्षा संचालित की गयी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निर्गत घोषणा प्रपत्रों ‘सी’ एवं ‘एफ’ की नमूने के तौर पर चरणबद्ध⁹ तरीके से सभी 28 अंचलों में तिर्यक जाँच की गयी। राज्य में शीर्ष स्तर से अंचल स्तर तक केन्द्रीय घोषणा प्रपत्रों के मुद्रण, अभिरक्षण, निर्गमन एवं उपयोगिता की भी संवीक्षा की गयी एवं संवीक्षा के परिणाम समीक्षा में सम्मिलित किये गये हैं।

2.10.5 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, वाणिज्यकर विभाग का आभार व्यक्त करता है। समीक्षा करने के पहले 7 मार्च 2011 को सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आहूत हुआ जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली से उन्हें अवगत कराया। अगस्त 2011 में विभाग/सरकार को समीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप अग्रसारित किया गया एवं 12 नवम्बर 2011 को आहूत बर्हिगमन सम्मेलन में इस पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें सचिव-सह- आयुक्त एवं अपर आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग उपस्थित थे। बर्हिगमन सम्मेलन के

⁸ चिरकुण्डा, देवघर, घनबाद, झरिया, कतरास, पलामू, पाकुड़, राँची पूर्वी और राँची विशेष।

⁹ फेज I: झारखण्ड में अंचलों से संग्रह किये गये प्रपत्रों/ऑकडा, फेज -II: अन्य राज्यों के प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार के कार्यालय से प्राप्त प्रपत्रों/ऑकडे तथा फेज-III : झारखण्ड में संबंधित अंचलों से प्रपत्रों की तिर्यक जाँच।

दौरान विभाग के औपचारिक उत्तर को समीक्षा में शामिल कर लिया गया है।

2.10.6 राजस्व की प्रवृत्ति

2006-11 के दौरान राज्य के के.बि. क. के साथ-साथ बिक्री कर/मू.व.क. का संग्रहण निम्न था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया	बिक्री कर का वित्त लेखा पर आधारित राजस्व	केन्द्रीय बिक्री कर संग्रह	कॉलम चार का तीन से प्रतिशत	वित्त लेखा एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े में भिन्नता
1	2	3	4	5	6
2006-07	2,482.60	2,556.90	614.14	24.01	(-) 74.30
2007-08	2,747.33	2,845.88	636.09	22.35	(-) 98.55
2008-09	2,893.49	2,996.20	570.58	19.04	(-) 102.71
2009-10	3,581.05	3,597.20	647.41	17.99	(-) 16.15
2010-11	4,468.52	4,473.43	792.29	17.71	(-) 4.91

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2008-11 के दौरान के.बि.क. की दर दो प्रतिशत रहा, के.बि.क.का संग्रहण 19.04 प्रतिशत से घटकर 17.71 प्रतिशत रह गया।

तदन्तर, राजस्व प्राप्तियों की विभागीय आँकड़ों तथा राज्य सरकार के वित्तीय लेखा में दर्शाये गये आँकड़ों में काफी अंतर था जिससे पता चलता है कि आँकड़ों में समाशोधन की आवश्यकता है।

निकास सम्मेलन (नवम्बर 2011) के दौरान सरकार ने अपने उत्तर में के.बि.क. संग्रहण में ह्रास का कारण के.बि.क. व्यवसायियों द्वारा राज्यान्तर्गत क्रय के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग, के.बि.क. की दर चार प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत होना तथा के.बि.क. अधिनियम की धारा 8 में संशोधन (अप्रैल 2007) के द्वारा अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री पर दुगुना की दर से करारोपण के प्रावधान को विलोपित करने को बताया। वित्त लेखा एवं राजस्व संग्रह की विभागीय आँकड़ों के बीच अंतर के मामले में सरकार ने कहा कि यह राजस्व के मुख्य शीर्ष में गलत दर्ज करने के कारण हुई थी। तदन्तर, कहा कि भविष्य में गलत दर्ज होने से बचने के लिए झा.मू.व.क. नियम में विभिन्न शीर्षों के लिए चलानों के रंग परिभाषित करने के लिए आवश्यक संशोधन लाया जा चुका है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

प्रणाली की त्रुटियाँ

2.10.7 घोषणा प्रपत्रों का मुद्रण एवं अभिरक्षण

के.बि.क. घोषणा प्रपत्रों निजी प्रेस में मुद्रित होती है जिसके लिए विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। मुद्रण के बाद ये सभी प्रपत्रें राँची कोषागार में अवस्थित विभाग के केन्द्रीय बज्रगृह (के.ब.गृ.) में प्राप्त किए जाते हैं। के.ब.गृ. से आवश्यकतानुसार प्रपत्रें संबंधित अंचलों के वा.

क.उ./वा.क.स.आ. को निर्गत की जाती है। वा.क.उ./ स.वा.क.आ. व्यवसायियों को पुनर्वितरण हेतु इन प्रपत्रों को संबंधित जिला कोषागार में रखते है।

नि.प्रा. से निबंधित व्यवसायियों के द्वारा समय-समय पर विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क भुगतान के पश्चात के.बि.क. घोषणा प्रपत्रें प्राप्त की जाती है। वा.क.आ. के कार्यालय में प्रपत्रों की प्राप्ति एवं अंचलवार निर्गमन का लेखा-जोखा रखने के लिए क्रमशः स्टॉक एवं लेजर संधारित की जाती है। क्रमसंख्या अंकित करते हुए के.ब.गृ से प्राप्त प्रपत्रों एवं व्यवसायीवार इनके निर्गम की लेखा-जोखा रखने के लिए अंचल स्तर पर स्टॉक पंजी एवं लेजर दोनों ही संधारित की जाती है। विभाग के लिए यह आवश्यक है कि प्रपत्रों के किसी दुरुपयोग की संभावना से होनेवाले राजस्व की क्षति को रोकने के लिए विद्यमान भण्डार एवं इनके निर्गमन की गति की समीक्षा करने के पश्चात ही प्रपत्रों का मुद्रण सुनिश्चित करें।

- बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत, संबंधित विभाग द्वारा विहित नियम के अन्तर्गत कम से कम वर्ष में एक बार सभी भण्डारों का भौतिक सत्यापन होना चाहिए।

हमने देखा कि लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित अवधि के दौरान के.ब.गृ. में प्रपत्रों का न तो भौतिक सत्यापन करना निर्धारित था, न ही सत्यापन किया गया। अतः यह सुनिश्चित नहीं था कि स्टॉक एवं लेजर पंजी में दर्शाये गये प्रपत्र वास्तव में विभिन्न स्तर पर भौतिक रूप से उपलब्ध था। इससे खोये हुए प्रपत्रों की खोज नहीं होने एवं उनके दुरुपयोग से अनियमित रियायत एवं कर से छूट एवं राज्य सरकार को राजस्व की परिणामी क्षति का जोखिम बढ़ गया।

सरकार ने निर्गमन सम्मेलन के दौरान (नवम्बर 2011) अपने उत्तर में कहा कि केन्द्रीय कोषागार में लेजर/स्टॉक पंजी में दर्शाये गये प्रपत्रों का सतत सत्यापन किया जा रहा था। उत्तर उपयुक्त नहीं था क्योंकि लेजर/स्टॉक पंजी पर सत्यापन करने वाले पदाधिकारी का न तो सत्यापन प्रमाण पत्र दर्ज पाया गया न ही हमें अलग से इसे प्रस्तुत किया गया।

- हमने देखा कि बिना कोई निविदा आमंत्रण के एवं विद्यमान स्टॉक/अंचलों की आवश्यकता को आकलन किए बगैर विभाग ने 4,50,000 घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 2,00,000 घोषणा प्रपत्र 'एफ' के मुद्रण हेतु आदेश दिया (मार्च 2007)। मार्च 2007 में प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' का विद्यमान स्टॉक क्रमशः 2,30,000 एवं 38,000 था एवं प्रपत्रों की आपूर्ति के लिए अंचलों से कोई माँग भी लंबित नहीं था।

प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' की वर्षवार प्राप्ति एवं वितरण जैसा कि नीचे विवरणित है:

(प्रपत्रों की कुल संख्या)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	कुल	वितरण	अन्तिम शेष
घोषणा 'सी'					
2006-07	शून्य ¹⁰	4,50,000	4,50,000	2,20,000	2,30,000
2007-08	2,30,000	4,50,000	6,80,000	1,86,000	4,94,000
2008-09	4,94,000	शून्य	4,94,000	1,20,000	3,74,000
2009-10	3,74,000	शून्य	3,74,000	1,10,000	2,64,000
2010-11	2,64,000	शून्य	2,64,000	1,46,000	1,18,000
घोषणा 'एफ'					
2006-07	शून्य	100000	1,00,000	62,000	38,000
2007-08	38,000	200000	2,38,000	40,000	1,98,000
2008-09	1,98,000	शून्य	1,98,000	26,000	1,72,000
2009-10	1,72,000	शून्य	1,72,000	16,000	1,56,000
2010-11	1,56,000	शून्य	1,56,000	30,000	1,26,000

निर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने अपने उत्तर में कहा (नवम्बर 2011) कि मार्च 2007 में के.बि.क. प्रपत्रों का मुद्रण वित्त विभाग की सहमति एवं वित्त मंत्री के अनुमोदन के पश्चात मेसर्स सरस्वती प्रेस, कोलकाता (पश्चिम बंगाल सरकार की एक इन्टर प्राइज) के द्वारा किया गया क्योंकि मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रण के विरुद्ध यह एक मात्र बोली लगाने वाला था। तदन्तर, यह कहा कि मार्च 2007 में मात्र 1,00,000 प्रपत्र 'एफ' मुद्रित की गयी। तथापि, उत्तर सही नहीं था क्योंकि सरकार ने मार्च-अप्रैल 2006 में अनुसरणित व्यवस्था को संदर्भित किया था। मार्च 2007 में निविदा आमंत्रित किए बगैर 4,50,000 प्रपत्र 'सी' एवं 2,00,000 प्रपत्र 'एफ' के मुद्रण हेतु उसी प्रिंटिंग प्रेस को उसी दर पर आदेश दिया गया।

- वा.क.आ. कार्यालय में संधारित के.बि.क. घोषणा प्रपत्रों की स्टॉक पंजी, लेजर एवं माँग संचिका की हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 17 अगस्त 2006 को आरंभिक शेष शून्य दर्शाते हुए एक नया स्टॉक पंजी खोला गया। इस तिथि के पूर्व के स्टॉक पंजी को उपलब्ध नहीं कराया गया। अतएव, 17 अगस्त 2006 के पूर्व के प्रपत्रों के अन्त शेष का पता नहीं लगाया जा सका।

2.10.8 विभाग द्वारा घोषणा प्रपत्रों के निर्गमन एवं लेखांकन

हमारी संवीक्षा से पता चला कि वा.क.आ. कार्यालय में संधारित के.बि.क. प्रपत्रों की स्टॉक पंजी में प्रपत्र का स्टॉक बॉक्सवाइज दर्शाते हैं। तदन्तर, प्रपत्रों को क्रमानुसार निर्गत नहीं किया जाता है।

हमने पाया कि वा.क.आ. कार्यालय के स्टॉक पंजी के अनुसार राँची प्रमण्डल को 25 अगस्त 2006 को दो बक्से में सन्निहित 2000 प्रपत्र 'सी' निर्गत दिखाये गये थे। परन्तु लेजर में एक बक्से में सन्निहित प्रपत्र संख्या 329001 से 331000 मात्र पलामू अंचल को निर्गत दिखाये गये थे फलस्वरूप 'सी' प्रपत्र के एक बक्सा में सन्निहित 2000 प्रपत्र 'सी' की कमी हुई। वर्हिगमन सम्मेलन (नवम्बर 2011) में सरकार ने उत्तर दिया कि प्रपत्रों राँची प्रमण्डल के गुमला वाणिज्यकर अंचल को निर्गत की गयी थी। तथापि, लिपिकीय भूल के कारण इसे प्रपत्र 'सी' लेजर फोलियो के बदले प्रपत्र 'एफ' फोलियो में अभिलेखित की गयी। आवर्ती भौतिक सत्यापन के अभाव के साथ क्रमबद्ध रूप से प्रपत्रों के निर्गमन नहीं होने के कारण विभाग उपरोक्त का पता नहीं लगा सका।

10 आरंभिक शेष शून्य दर्शाते हुए एक नयी स्टॉक पंजी 17 अगस्त 2006 को खोला गया। इस तिथि के पूर्व का स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किया।

सरकार विद्यमान स्टॉक की समीक्षोपरान्त प्रपत्रों के मुद्रण, घोषणा प्रपत्रों की स्टॉक पंजी के आवर्ती सत्यापन के लिए एक तंत्र की स्थापना और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रपत्रों के क्रमबद्ध तरीके से निर्गमन सुनिश्चित कर सकती है। सरकार स्टॉक पंजी और लेजर के लिए मानक प्रारूप भी निर्धारित कर सकती है।

2.10.9 पंजी/लेजर एवं आवर्ती प्रतिवेदन/विवरणी के मानक प्रारूप का अनिर्धारण

हमने देखा कि के.बि.क. घोषणा प्रपत्रों के स्टॉक पंजी एवं लेजर के संधारण के लिए वा.क.आ. कार्यालय द्वारा कोई मानक प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप वाणिज्यकर अंचलों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रारूपों को व्यवहार में लाए जा रहे हैं। दृष्टान्तस्वरूप, देवघर अंचल में एक ही पंजी में स्टॉक और लेजर का संधारण किए जाते हैं।

हमने यह भी पाया कि या तो अंचल के प्रभारी को अथवा वा.क.आ. को आवर्ती प्रतिवेदन एवं विवरणियों का प्रस्तुत करना विहित नहीं किया गया था।

सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन (नवम्बर 2011) के दौरान अपने उत्तर में कहा कि के.बि.क. (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के अन्तर्गत के.बि.क. के लेन-देन के लिए व्यवसायियों द्वारा प्रपत्रों का संधारण किया जाना अपेक्षित है। तथापि, हमारी टिप्पणी वाणिज्यकर अंचल कार्यालयों से संबंधित था।

2.10.10 प्रवर्तन के उपाय

2.10.10.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा को नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि यह ऐसा साधन है जो सुनिश्चित करता है कि विहित प्रणाली उचित ढंग से क्रियाशील है। वित्त (अंकेक्षण) विभाग, वा.क.वि. के आन्तरिक अंकेक्षक के रूप में कार्य करती है। मई 1960 के आदेशानुसार, आंतरिक अंकेक्षण दलों को सभी कर निर्धारणों का 100 प्रतिशत अंकेक्षण करना है जिसमें अन्य के अलावे, निर्धारण आदेशों की जाँच माँग पत्र का निर्गमन, संग्रहित कर की राशि और कोषागार में जमा की गयी राशि की जाँच, शामिल है। हमने पाया कि पिछले पाँच वर्षों से सचिव-सह-आयुक्त के कार्यालय वा.क.वि. और अंचलों में आन्तरिक अंकेक्षण का संचालन नहीं किया गया था।

सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन (नवम्बर 2011) के दौरान अपने उत्तर में कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद अंकेक्षण मार्गदर्शिका अधिसूचित की गयी (जुलाई 2011)।

2.10.10.2 अन्वेषण ब्यूरो के कार्य-कलाप (अ.ब्यू.)

1 अप्रैल 2006 से झा.मू.व.क. अधिनियम अन्वेषण ब्यूरो स्थापित करने का प्रावधान करता है जो वा.क.आ. के अधीन एवं पर्यवेक्षण में वैसे कर्तव्यों जैसा कि उसे सौंपा जाये, कार्य करेगा। हमने देखा कि झा.मू.व.क. अधिनियम और झा.मू.व.क. नियमावली में के.बि.क. घोषणा प्रपत्रों के नमूना तिर्यक जाँच करने की कोई प्रणाली का प्रावधान नहीं है। तथापि, अगस्त 2009 में वा.क.आ. द्वारा निर्गत आदेशानुसार वा.क.सं.आ. (प्रशासन) के अधीन प्रमण्डलीय अ.ब्यू. को, अन्य कार्यों के अलावे, घोषणा प्रपत्रों के सही होने के सत्यापन का कार्य भी सौंपा गया।

हमने देखा कि यद्यपि अप्रैल 2006 में अ.ब्यू. की स्थापना की गयी थी तथापि झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत इसके कार्य निर्वहन से संबंधित अधिसूचना अगस्त 2009 में निर्गत की गयी। हमारे द्वारा वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में अ.ब्यू. को सौंपे गये कार्य/निष्पादित कार्य तथा उनके द्वारा वा.क.आ. को प्रस्तुत की गयी प्रतिवेदनों और विवरणियों से संबंधित सूचना माँगी गयी, परन्तु हमें कोई सूचना नहीं दी गई। अतएव, हम अ.ब्यू. के कार्य कुशलता पर टिप्पणी करने में समर्थ नहीं थे।

सरकार नियमित सर्वेक्षण, क्रय-विक्रय से संबंधित आँकड़े/सूचनाओं के संग्रहण एवं लेन-देन की तिर्यक जाँच के लिए राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों एवं उपक्रमों के आँकड़ों के डाटाबेस का सृजन करने के लिए अ.ब्यू. के कार्यों के सुदृढीकरण पर विचार कर सकती है।

2.10.10.3 टिनेक्सिस वेबसाइट का उपयोग नहीं होना

टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम (टिनेक्सिस) भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों (सं.क्षे.) में फैले सभी अन्तरराज्यीय व्यवसायियों की केन्द्रीकृत विनिमय प्रणाली है। टिनेक्सिस राज्य के वित्त मंत्रियों की एक इमपावरड् कमिटी (ई.सी.) द्वारा रचित, विभिन्न राज्यों तथा सं.क्षे. के बीच अन्तरराज्यीय लेन-देन का संग्रहण के लिए विनिमय है।

अन्तरराज्यीय व्यापार को नियंत्रित करने में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के वा.क.वि. की सहायता के लिए इस वेबसाइट की रूप रेखा तैयार की गयी। किसी भी व्यवसायी द्वारा किसी अन्य राज्य में प्रतिरूप अन्तरराज्यीय व्यवसायी की सत्यता की जाँच के लिए टिनेक्सिस का उपयोग किया जा सकता है। व्यवसायियों के सत्यापन के अलावे, वा.क.वि. के अधिकारियों द्वारा अन्य राज्य के वा.क.वि. के द्वारा निर्गत की गयी केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्रों के और वेबसाइट में उपलब्ध आँकड़ों से व्यवसायियों द्वारा रियायत के दावे के समर्थन में प्रस्तुत की गयी प्रपत्रों के सत्यापन के लिए टिनेक्सिस का व्यवहार किया जाता है। टिनेक्सिस अन्तरराज्यीय व्यापार संचलन के अनुश्रवण करने के लिए वा.क.वि. को एम.आई.एस. (मैनेजमेन्ट इन फॉर्मेशन सिस्टम) और व्यवसाय इण्टेलिजेंस रिपोर्ट का प्रावधान भी करता है एवं अन्तरराज्यीय व्यापार की प्रवृत्ति के अनुश्रवण के लिए ई.सी. को समर्थ बनाता है।

हमने देखा कि के.बि.क. घोषणा प्रपत्रों का विवरण और उनके उपयोग को अपलोड नहीं किए गये थे (जुलाई 2011), यद्यपि टिनेक्सिस में अपलोड करने के लिए झारखण्ड सरकार का हिस्सा ₹ 32 लाख भारत सरकार को भुगतान किया जा चुका था (अगस्त 2009) अतएव, साझा सुविधा का अब तक उपयोग नहीं किया जा सका।

टिनेक्सिस का उपयोग नहीं किये जाने सम्बन्धित लेखापरीक्षा अवलोकन को सरकार ने निर्गमन सम्मेलन के दौरान (नवम्बर 2011) उत्तर देते हुए इसे स्वीकार किया एवं कहा कि के.बि.क. प्रपत्रों को ऑनलाईन डाउनलोड करने के लिए के.बि.क. (झारखण्ड) नियमावली, 2006 में एक नया नियम 11 ए को जोड़ा गया और इसे वर्ष 2011 के अंत तक लागू किया जायेगा। तदन्तर इसने कहा कि ऑनलाईन निर्गमन के बाद प्रपत्रें स्वतः टिनेक्सिस में अपलोड हो जायेगी।

कर निर्धारण के समय टिनेक्सिस में उपलब्ध डाटाबेस से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों की जाँच सहित व्यवसायियों के आँकड़े एवं उनको निर्गत किये गये घोषणा प्रपत्रों को अपलोड करने पर सरकार विचार कर सकती है।

2.10.11 कम्प्यूटरीकरण

विभाग के अनुरोध पर नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेन्टर (एन.आई.सी.) वाणिज्यकर विभाग के लिए वेब समर्थित वैट एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर “विक्टरी” (वैट इनफॉरमेशन कम्प्यूटराइजेशन टू ऑपटीमाइज रेवेन्यू इल्डस) से नामित को विकसित किया, जिसे 1 अप्रैल 2006 में प्रारम्भ किया गया। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (विक्टरी) में पाँच मॉड्यूल हैं जिसमें एक फॉर्म कंट्रोल सिस्टम है।

हमने देखा कि एन.आई.सी. द्वारा फॉर्म कंट्रोल सिस्टम को क्रियाशील नहीं बनाया गया था। इसके फलस्वरूप के.बि.क. अधिनियम एवं झा.मू.व.क. अधिनियम दोनों के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्रों का ऑनलाईन निर्गमन नहीं हुआ।

विभाग ने हस्तचालित पद्धति को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में चरणबद्ध परिवर्तन हेतु कोई प्रलेखित योजना प्रस्तुत नहीं की। विकसित प्रणाली का उपयोग विवरणियों के आँकड़े की प्रविष्टि के लिए की जा रही थी एवं कर निर्धारणों से संबंधित अन्य क्रिया-कलाप हस्तचालित तरीके से की गयी। अतएव, हस्तचालित पंजियों को समाप्त कर विभाग की कार्य प्रणाली की दक्षता में सुधार के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

सरकार ने निर्गमन सम्मेलन (नवम्बर 2011) के दौरान अपने उत्तर में कहा कि विभाग कम्प्यूटरीकरण प्रक्रियान्तर्गत था। विवरणियों की ऑनलाइन दाखिला, कर का भुगतान तथा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कार्यशील थे। प्रपत्रों की ऑनलाइन निर्गमन इस वर्ष के अन्तर्गत शुरू की जाएगी।

अनुपालन की त्रुटियाँ

2.10.12 घोषणा प्रपत्रों के उपयोग द्वारा आयातित वस्तुओं का कम लेखांकन

के.बि.क. अधिनियम के साथ पठित झा.वि.अधिनियम, 2001 और झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 के अन्तर्गत यदि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जान-बुझकर छिपाया, छोड़ा या प्रगट करने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, तो सक्षम प्राधिकारी व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुर्ननिर्धारण करेगा तथा व्यवसायी को छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड जो झा.मु.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का दो गुणा तथा झा.वि. अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम 300 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश देगा।

14 वाणिज्यकर अंचलों¹¹ में हमने देखा कि 2004-09 के दौरान 22 व्यवसायियों ने ₹ 117.58 करोड़ के कर देय आवर्त की विवरणियाँ दाखिल की थी। जून 2007 एवं मार्च 2010 के मध्य उनके द्वारा दाखिल की गयी विवरणियों के आधार पर कर निर्धारण संपन्न किया गया। तथापि कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध सूचनाओं यथा घोषणा प्रपत्र 'सी' नीले¹² एवं हरे¹³ रंग के रोड परमिट की उपयोगिता प्रमाण पत्र से अवलोकित हुआ कि व्यवसायियों ने वास्तव में

₹ 134.13 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की खरीद/बिक्री की थी। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 16.55 करोड़ के कर-योग्य आवर्त को छिपाया। यद्यपि प्रासंगिक सूचनाएँ संबंधित व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध थी लेकिन नि.प्रा. ने इन अभिलेखों के साथ सूचनाओं की तिर्यक जाँच नहीं की। इसके फलस्वरूप अनिवार्य शास्ति ₹ 2.40 करोड़ सहित ₹ 3.55 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण हुआ।

कुछ विशिष्ट मामले को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

अंचल का नाम व्यवसायियों का टीन	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकन की प्रकृति	आवर्त का छिपाव कर का दर (%)	मू. व. क. का कम आरोपण शास्ति
बोकारो 20901405286	2007-08 मार्च 2010	व्यवसायी ने वास्तव में राज्य के बाहर से ₹ 13.75 करोड़ की सामग्री (फार्म 'सी' की मांग पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र) की खरीद की किन्तु ₹ 6.46 करोड़ मात्र लेखापित किया।	7.29 4	0.29 0.58
राँची पूर्वी 20770200915	2007-08 मार्च 2010	व्यवसायी ने 79 प्रपत्र 'एफ' का व्यवहार कर ₹ 27.10 करोड़ का सामान प्राप्त किया तथा प्रपत्र 'सी' का व्यवहार कर ₹ 31.14 लाख का सामान खरीदा। इस प्रकार कुल प्राप्ति ₹ 27.41 करोड़ आकलित किये गये किन्तु ₹ 25.52 करोड़ मात्र लेखापित किया गया जिसके आधार पर कर निर्धारण हुआ।	1.89 12.5	0.24 0.48

¹¹ बोकारो, चिरकुण्डा, धनबाद, धनबाद नगरीय, जमशेदपुर, जमशेदपुर नगरीय, झरिया, कतरास, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष और सिंहभूम।

¹² राज्य के बाहर वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रपत्र 504 बी में निर्गत नीले रंग का रोड परमिट।

¹³ राज्य के बाहर से वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रपत्र 504 जी में निर्गत हरे रंग का रोड परमिट।

(₹ करोड़ में)

अंचल का नाम व्यवसायियों का टीन	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकन की प्रकृति	आवर्त का छिपाव कर का दर (%)	मू.व.क.का कम आरोपण शास्ति
जमशेदपुर नगरीय जे.यू.-112 (आर)	2005-06 मार्च 2009	व्यवसायी ने छः घोषणा प्रपत्र 'सी' का व्यवहार कर वास्तव में ₹ 1.52 करोड़ की वस्तुएँ खरीद की किन्तु मात्र ₹ 17.71 लाख लेखापित किया।	$\frac{1.34}{8}$	$\frac{0.11}{0.33}$
झरिया 20791805374	2008-09 मार्च 2010	प्रपत्र 'सी' एवं हरे रंग का अनुज्ञा पत्र के व्यवहार द्वारा ₹ 1.88 करोड़ मूल्य का पान मसाला खरीदा गया जबकि व्यवसायी ने ₹ 1.47 करोड़ हीं लेखापित किया।	$\frac{0.41}{8}$	$\frac{0.05}{0.10}$
कतरास 20931500627	2006-07 मार्च 2009	व्यवसायी ने अनुज्ञा पत्र का व्यवहार कर ₹ 50 लाख मूल्य का सामान राज्य के बाहर बेचा जो प्रपत्र 'सी' से आच्छादित नहीं था।	$\frac{0.50}{10}$	$\frac{0.05}{0.10}$

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को निर्गमन सम्मेलन के दौरान (नवम्बर 2011) उत्तर देते हुए स्वीकार किया और कहा कि संबंधित अंचलों को अनुसरण करने का निर्देश दिया गया था और इसका विभाग के मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण किया जायेगा।

2.10.13 निर्गमकर्ता एवं उपयोगकर्ता व्यवसायियों के लेन-देन के आँकड़ों में भिन्नता

झा.मू.व.क. अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमावली में यह प्रावधान है कि यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट है कि व्यवसायी ने कर भुगतान से बचने या टालने के उद्देश्य से आवर्त को छोड़ा या छिपाया या प्रकट करने में विफल रहा अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है तो उक्त प्राधिकारी ऐसे आवर्त के लिए व्यवसायी को देय कर का निर्धारण अथवा पुर्ननिर्धारण करेगा तथा व्यवसायी को, छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड जो अतिरिक्त कर का दुगुना भुगतान करने का निर्देश देगा।

2.10.13.1 चार वाणिज्यकर अंचलों¹⁴ के चार व्यवसायियों, जिनका कर निर्धारण/पुर्नकर निर्धारण जनवरी 2009 एवं सितम्बर 2011 के मध्य किया गया, के खरीद/भण्डार प्राप्ति के आँकड़ों के तिर्यक जाँच से यह इंगित हुआ कि व्यवसायियों ने 2006-07 एवं 2008-09 के दौरान वास्तविक खरीद/भण्डार प्राप्ति ₹ 17.42 करोड़ के विरुद्ध ₹ 15.17 करोड़ का खरीद/भण्डार प्राप्ति आवर्त दर्शाया। इसके फलस्वरूप

₹ 2.25 करोड़ के कर देय आवर्त का छिपाव हुआ और परिणामी अनिवार्य शास्ति ₹ 53.86 लाख सहित ₹ 80.79 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

¹⁴ हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू और राँची दक्षिणी ।

झा.वि.अधिनियम के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी को विश्वास करने के कारण हैं कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जान-बुझकर छिपाया, छोड़ा या व्यक्त करने में असफल रहा है या गलत ब्यौरा दिया है तो उक्त प्राधिकारी, व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुर्णनिर्धारण करेगा तथा छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त शास्ति, जो कर की राशि के तीन गुणा से अधिक नहीं, पर छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के बराबर से कम नहीं होगा, भुगतान करने का निर्देश देगा।

2.10.13.2 वाणिज्यकर अंचल, जमशेदपुर के एक व्यवसायी के मार्च 2009 के कर निर्धारण में खरीद/भण्डार प्राप्ति आँकड़ों एवं अभिलेखों के हमारे तिर्यक जाँच से इंगित हुआ कि व्यवसायी ने वर्ष 2004-05 के दौरान वास्तविक खरीद/भण्डार प्राप्ति ₹ 13.77 करोड़ के विरुद्ध ₹ 7.51 करोड़ का खरीद/भण्डार प्राप्ति आवर्त दर्शाया। इसके फलस्वरूप ₹ 6.26 करोड़ के कर देय आवर्त का छिपाव हुआ और परिणामी अनिवार्य शास्ति एवं अधिभार ₹ 1.50 करोड़ सहित ₹ 2.05 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

2.10.13.3 पाँच राज्यों¹⁵ से प्राप्त आँकड़ों के राज्य के पाँच वाणिज्यकर अंचलों¹⁶ में निबंधित नौ व्यवसायियों के द्वारा किये गए बिक्री/भण्डार अन्तरण के तिर्यक जाँच से यह इंगित हुआ कि 2006-08 के दौरान व्यवसायियों को बिक्री/भण्डार अंतरण ₹ 13.73 करोड़ के लिए मार्च 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य रियायत/छूट की अनुमति दी गई थी। यद्यपि वास्तविक बिक्री/भण्डार अन्तरण ₹ 38.35 करोड़ था। इसके फलस्वरूप ₹ 24.62 करोड़ के कर देय आवर्त का छिपाव हुआ और परिणामी ₹ 1.97 करोड़ के अनिवार्य शास्ति सहित ₹ 2.96 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

2.10.14 घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता

2.10.14.1 घोषणा प्रपत्रों द्वारा अनाच्छादित अन्तरराज्यीय बिक्री पर रियायती दर की गलत स्वीकृति प्रदान करना

- पाँच वाणिज्यकर अंचलों¹⁷ में पाँच व्यवसायियों के मामले में हमने देखा कि अवधि 2005-08 के कर निर्धारण (जून 2008 एवं मार्च 2010 के मध्य) सम्पन्न करने के क्रम में नि.प्रा. ने ₹ 3.61 करोड़ कर देय के आवर्त पर त्रुटिपूर्ण ढंग से कर की रियायती दर की अनुमति दी और सही राशि ₹ 24.09 लाख के बदले ₹ 11.67 लाख का कर आरोपित किया जैसा कि घोषणा प्रपत्रों पर अंकित राशि, जिस पर रियायत स्वीकार किये गये थे, या तो त्रुटिपूर्ण थे या कर की राशि के सहित था। इसके फलस्वरूप ₹ 12.42 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

- छः वाणिज्यकर अंचलों¹⁸ में 15 व्यवसायियों के मामले में हमने देखा कि अवधि 2006-08 के कर निर्धारण (फरवरी 2008 एवं अप्रैल 2010 के मध्य) के क्रम में नि.प्रा. ने घोषणा प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर देय आवर्त ₹ 579.30 करोड़ पर रियायती दर पर कर को अस्वीकृत कर दिया किन्तु ₹ 47.22 करोड़ के बदले ₹ 23.24 करोड़ का त्रुटिपूर्ण कर

¹⁵ बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल।

¹⁶ चिरकुण्डा, घनबाद, झरिया, पलामू एवं राँची विशेष।

¹⁷ चाईबासा, देवघर, रामगढ़, राँची विशेष तथा तेनुघाट।

¹⁸ चाईबासा, कतरास, पलामू, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी एवं तेनुघाट।

आरोपित किया। इसके फलस्वरूप ₹ 23.98 करोड़ का कम कर आरोपित किया। कुछ विशिष्ट मामले निम्न उल्लिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

अंचल का नाम व्यवसायियों का टिन/निबंधन संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकनों की प्रकृति	कर का कम आरोपण
राँची पश्चिमी 20790305657	2006-07 फरवरी 2009	घोषणा प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आठ प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत के दर से गलत कर का आरोपण किया गया	21.83
राँची दक्षिणी 20280100353	2007-08 मार्च 2010	घोषणा प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत नहीं किये जाने पर 12.5 प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत की दर से गलत कर का आरोपण किया	0.79
तेनुघाट 20442201285	2007-08 मार्च 2010	घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर 12.5 प्रतिशत के बदले आठ प्रतिशत की दर से गलत कर आरोपित किया	0.19
कतरास के.टी. 210 (सी)	2006-07 फरवरी 2009	घोषणा पत्र 'एफ' प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आठ प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत की दर से गलत कर आरोपित किया गया	0.08

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2011) और कहा कि संबंधित अंचलों को अनुपालन करने का निर्देश दिया जा रहा था और इसका विभाग के मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण किया जायेगा।

2.10.14.2 घोषणा प्रपत्रों से अनाच्छादित वस्तुओं के भण्डार अन्तरण पर गलत छूट दिया जाना

के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत कर से छूट प्राप्त करने के लिए घोषणा प्रपत्र 'एफ' का उपस्थापन अनिवार्य है। घोषित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय भण्डार अन्तरण के मामले में जो प्रपत्र 'एफ' से समर्थित नहीं है, तो सम्बन्धित राज्य में ऐसी वस्तुओं पर लागू दर के दुगुना दर से कर आरोप्य है। घोषित वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के मामलों में 10 प्रतिशत की दर से या राज्य में आरोप्य कर की दर, जो भी अधिक हो, कर आरोप्य है।

तीन वाणिज्यकर अंचलों¹⁹ में चार व्यवसायियों के मामले में हमने देखा कि 2003-07 के अवधि का कर निर्धारण (मार्च 2008 एवं अप्रैल 2009 के मध्य) सम्पन्न करने के क्रम में नि.प्रा. ने ₹ 11.50 करोड़ मूल्य के राज्य के बाहर भण्डार अन्तरण पर कर के भुगतान से छूट की अनुमति दी यद्यपि लेन-देन घोषणा प्रपत्र 'एफ' से समर्थित नहीं थे। इसके फलस्वरूप छूट की

गलत अनुमति दी गई और परिणामी ₹ 1.34 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

सरकार लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत हुई (नवम्बर 2011) और कहा कि संबंधित अंचलों को इसके अनुसरण हेतु निर्देश दिया जा रहा था और मुख्यालय स्तर पर इसका अनुश्रवण किया जायेगा।

¹⁹ घनबाद नगरीय, देवघर एवं रामगढ़।

2.10.14.3 निबंधित क्रेता व्यवसायियों द्वारा अनधिकृत घोषणा प्रपत्रों का उपयोग

के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति गलत प्रमाण पत्र या घोषणा प्रपत्र उपस्थापित करता है तो नि.प्रा. इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण, पुर्नकर निर्धारण एवं संग्रहण करेगा तथा व्यवसायी द्वारा भुगतेय ब्याज एवं शास्ति के साथ कर के भुगतान के लिए बाध्य करेगा, जैसा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे व्यवसायियों द्वारा भुगतेय कर या ब्याज या शास्ति राज्य के सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतेय कर या ब्याज या शास्ति हो। निरस्त झा.वि.अधिनियम में अधिकतम 300 प्रतिशत तक शास्ति आरोपित करने का प्रावधान था जबकि झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 शास्ति के लिए निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि का दुगुना राशि का प्रावधान करता है।

● हमने पाया कि 13 वाणिज्यकर अंचलों²⁰ में निबंधित 25 व्यवसायियों ने 2006-09 के मध्य 42 प्रपत्र 'सी' एवं 17 प्रपत्र 'एफ' के विरुद्ध 20 विनिर्माताओं से खाद्य तेल, मोटर पार्ट्स, लुब्रिकैन्ट्स, दवा, फूडप्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएँ प्राप्त किया। हमने संबंधित वाणिज्यकर अंचलों में संधारित लेजर की जाँच की और पाया कि ये घोषणा प्रपत्रों इन व्यवसायियों को निर्गत नहीं की गयी थी। जून 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण सम्पन्न करने के क्रम में नि.प्रा. भी इन भ्रांत व्यवसायियों का पता नहीं लगा सके। इसके फलस्वरूप ₹ 10.38 करोड़ का आवर्त कर निर्धारण से छूट गया और परिणामी अनिवार्य शास्ति

₹ 0.95 करोड़ सहित ₹ 1.42 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

● हमने पाया कि नौ वाणिज्यकर अंचलों²¹ में निबंधित 21 व्यवसायियों ने 53 अनधिकृत प्रपत्र 'सी' एवं चार अनधिकृत प्रपत्र 'एफ' के विरुद्ध अन्य तीन राज्यों²² के 19 विनिर्माताओं से 2003-06 के दौरान खाद्य तेल, संगमरमर एवं सिमेंट क्लींकर प्राप्त किया। हमने संबंधित वाणिज्यकर अंचलों में संधारित लेजर की जाँच की और पाया कि ये प्रपत्रों इन व्यवसायियों को निर्गत नहीं किये गये थे। सितम्बर 2004 एवं मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारण सम्पन्न करने के क्रम में नि.प्रा. भी इन भ्रांत व्यवसायियों का पता नहीं लगा सके। इसके फलस्वरूप ₹ 18.16 करोड़ का आवर्त कर निर्धारण में छूट गया और परिणामी ₹ 2.53 करोड़ के अनिवार्य शास्ति सहित ₹ 3.46 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

²⁰ बोकारो, देवघर, घनबाद नगरीय, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नगरीय, कोडरमा, पलामू, राँची पश्चिमी, सिंहभूम एवं तेनुघाट।

²¹ चाईबासा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, कतरास, पलामू एवं सिंहभूम।

²² आन्ध्र प्रदेश (2), उड़ीसा (2) एवं राजस्थान (15)।

- तदन्तर हमने देखा कि वाणिज्यकर अंचल हजारीबाग में निबंधित एक व्यवसायी ने 2006-07 के दौरान एक अनधिकृत प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर उड़ीसा से ₹ 1.81 लाख मूल्य की वस्तु (चावल) की खरीद की। कर निर्धारण जुलाई 2009 में सम्पन्न किया गया। चूंकि झारखण्ड में चावल कर आरोपण से मुक्त था, राजस्व की हानि का आकलन नहीं किया जा सका।

2.10.14.4 अनिबंधित क्रेता व्यवसायियों द्वारा अनधिकृत घोषणा प्रपत्रों का उपयोग

के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत, यदि कोई व्यक्ति निबंधित व्यवसायी नहीं होते हुए भी जब अन्तरराज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार के क्रम में वस्तुओं के खरीद के लिए स्वयं को छल से निबंधित व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण पत्र स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उस पर अर्थदण्ड, जो अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित होने वाले कर के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगा, अधिरोपित कर सकता है।

वाणिज्यकर अंचल हजारीबाग तथा पलामू में हमने देखा कि छ: व्यवसायियों ने 11 अनधिकृत प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर 2005-06 से 2007-08 के दौरान ₹ 3.32 करोड़ का खाद्य तेल खरीदा। परन्तु नि.प्रा. ने कहा कि व्यवसायी अंचल में निबंधित नहीं थे इसके फलस्वरूप ₹ 19.89 लाख के अधिकतम

शास्ति सहित ₹ 33.15 लाख कर का आरोपण नहीं हुआ।

2.10.14.5 बिक्रेता व्यवसायियों द्वारा अनधिकृत घोषणा प्रपत्रों का उपयोग

हमने पाया कि चार वाणिज्यकर अंचलों²³ में निबंधित सात व्यवसायियों ने 2006-08 की अवधि के दौरान 23 के.बि.क. घोषणा प्रपत्र 'सी' के विरुद्ध पाँच राज्यों²⁴ के व्यवसायियों को ₹ 1.73 करोड़ मूल्य की ग्रेफाइट, हार्ड कोक, मशीनरी एवं हार्डवेयर की बिक्री की। तथापि, तिर्यक जाँच के परिणाम ने इंगित किया कि उपरोक्त प्रपत्र वाह्यस्थल अंचलों के व्यवसायियों द्वारा निर्गत नहीं किए गये थे और इस प्रकार, वे नकली थे। मार्च 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य कर निर्धारण के क्रम में टिनेक्सिस के माध्यम से इन प्रपत्रों की जाँच नहीं होने के कारण नि.प्रा. इन नकली घोषणा प्रपत्रों का पता नहीं कर सके। इसके फलस्वरूप ₹ 4.24 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

²³ चिरकुंडा, घनबाद, झरिया एवं पलामू।

²⁴ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल।

2.10.14.6 अमान्य प्रपत्रों की स्वीकृति के कारण गलत रियायत/छूट की मंजूरी

के.बि.क. अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत निबंधित व्यवसायियों को नियत घोषणा प्रपत्रों 'एफ'/'सी' द्वारा समर्थित वस्तुओं के भण्डार अन्तरण/अन्तरराज्यीय बिक्री पर छूट/समय-समय पर लागू रियायती दर से कर आरोप्य है। 11 मई 2002 से प्रपत्र 'सी' का प्रस्तुतीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। तदन्तर, एक घोषणा प्रपत्र 'सी' वर्ष की सिर्फ एक चौथाई अवधि (तीन कैलेन्डर महीने) के दौरान किये गये लेन-देन को आच्छादित करेगा।

सात वाणिज्यकर अंचलों²⁵ के 12 व्यवसायियों के मामले में हमने देखा कि अवधि 2005-08 के कर निर्धारण (अप्रैल 2008 एवं अप्रैल 2010 के मध्य) सम्पन्न करने के क्रम में नि.प्रा. ने ₹ 31.43 करोड़ मूल्य के लेन-देन से सम्बन्धित 118 घोषणा प्रपत्रों 'सी'/'एफ' के प्रस्तुतीकरण पर रियायत/कर आरोपण से छूट स्वीकृत किया। तथापि अमान्य घोषणा

प्रपत्र समर्पित किये जाने, प्रपत्र की दूसरी प्रति समर्पित किये जाने, दूसरे व्यवसायी के नाम से निर्गत प्रपत्र समर्पित किये जाने, अमुद्रित क्रमांक वाले प्रपत्र समर्पित किये जाने, कर निर्धारण की तिथि के बाद की तिथि में निर्गत प्रपत्रों के समर्पित किये जाने, वर्ष के एक चौथाई अवधि से अधिक अवधि के लेन-देन को आच्छादित करने वाले प्रपत्र को समर्पित किये जाने तथा प्रपत्र पर बिक्रेता व्यवसायी का नाम एवं निबंधन संख्या अंकित नहीं रहने वाले प्रपत्रों के समर्पित किये जाने के आधार पर ये सभी घोषणा प्रपत्रों अस्वीकृत होने योग्य थी। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों को स्वीकार कर छूट/रियायती दर पर कर स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप ₹ 2.31 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। कुछ विशिष्ट मामले को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

अंचल का नाम व्यवसायी का टीन/निबंधन संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकन की प्रकृति	कर का कम आरोपण
तेनुघाट टी.जी.612 (सी)	2007-08 मार्च 2010	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत कुल 296 घोषणा प्रपत्रों 'सी' में से ₹ 9.80 करोड़ राशि के 59 प्रपत्र अस्वीकृत किये जाने के योग्य थे क्योंकि ये सभी या तो दूसरे व्यवसायी के नाम से निर्गत थे या बिना भरे हुए प्रपत्र थे या कर निर्धारण की तिथि के बाद निर्गत किये गये थे।	93.05
राँची विशेष 20070402090	2007-08 मार्च 2010	₹ 3.65 करोड़ के लिए छः घोषणा प्रपत्र 'एफ' की दूसरी प्रति पर व्यवसायी को गलत छूट की स्वीकृति दी गयी।	45.64
चिरकुण्डा 20662000277	2007-08 फरवरी 2010	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत कुल 39 घोषणा प्रपत्रों 'सी' में से ₹ 2.55 करोड़ राशि के 14 प्रपत्र अस्वीकृत होने के योग्य थे जैसा कि ये सभी दूसरे व्यवसायी के नाम से निर्गत थे/बिना भरे हुए थे/ एक से अधिक प्रपत्र में वर्ष के एक चौथाई अवधि के लेन-देन को शामिल किया गया था या एक प्रपत्र में वर्ष के एक चौथाई अवधि से अधिक के लेन देन शामिल थे।	24.18

²⁵ चाईबासा, चिरकुण्डा, जमशेदपुर, झरिया, पलामू, राँची विशेष एवं तेनुघाट।

(₹ लाख में)

अंचल का नाम व्यवसायी का टीन/ निबंधन संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकन की प्रकृति	कर का कम आरोपण
चाईबासा सी.बी.-1116 (सी)	2005-06 फरवरी 2010	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत कुल 50 घोषणा प्रपत्रों 'सी' में से ₹ 2.25 करोड़ राशि के तीन प्रपत्र टिस्को, नोआमुण्डी, चाईबासा के बदले टिस्को, कोलकाता के नाम पर निर्गत थे। इस कारण प्रपत्र अस्वीकृत होने योग्य थे किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा रियायती दर पर कर की स्वीकृति दी गयी। इसके फलस्वरूप ₹ 2.25 लाख के अधिभार सहित ₹ 15.74 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।	15.74
राँची विशेष 20660402202	2006-07 अप्रैल 2008	व्यवसायी ने ₹ 15.07 लाख के लिए प्रपत्र एफ सं. 03 क्यू 499609 की दूसरी प्रति प्रस्तुत किया था यद्यपि कर निर्धारण पदाधिकारी ने इस पर गलत छूट की स्वीकृति प्रदान की	13.13

यद्यपि सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को निर्गमन सम्मेलन के दौरान उत्तर देते हुए (नवम्बर 2011) स्वीकार किया किन्तु अल्पारोपित कर की वसूली के बारे में निश्चित उत्तर नहीं दिया।

2.10.14.7 के.बि.क. घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत एक निबंधित व्यवसायी विहित घोषणा प्रपत्रों का व्यवहार कर राज्य के बाहर से रियायती दर पर वैसी वस्तुओं की खरीद कर सकता है जो उसके द्वारा पुर्नविक्रय के लिए हो या इसका उपयोग विक्रय योग्य वस्तुओं के निर्माण एवं प्रोसेसिंग के लिए हो या खनन कार्य में प्रयुक्त हो या विद्युत या उर्जा के अन्य स्त्र के उत्पादन एवं वितरण के लिए या दूर संचार तंत्र के लिए हो साथ ही उक्त वस्तुएँ उसके निबंधन प्रमाण पत्र (नि.प्र.प.) द्वारा आच्छादित है। ऐसा करने में असफल होने पर व्यवसायी पर मुकदमा चलाया जायेगा या नि.प्रा. मुकदमा चलाने के बदले में, बिक्री को विहित घोषणा प्रपत्र 'सी' द्वारा समर्थित नहीं मानते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकता है, जो आरोप्य कर के डेढ़ गुणा से ज्यादा न हो। एक कार्य संवेदक भी व्यवसायी की हैसियत से इस सुविधा का उपयोग कर सकता है।

वाणिज्यकर अंचल, घनबाद में हमने देखा कि 2007-08 के दौरान एक व्यवसायी ने घोषणा प्रपत्र 'सी' का व्यवहार कर रियायती दर पर ₹ 18.36 लाख मूल्य के बी-हो लोडर का खरीद किया यद्यपि वस्तु उसके निबंधन प्रमाण-पत्र द्वारा आच्छादित नहीं था। तदन्तर, 2007-08 के दौरान कार्य संवेदक के रूप में निबंधित अन्य व्यवसायी प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर रियायती दर पर ₹ 16.82 करोड़ एवं ₹ 65.47 लाख मूल्य की हाई स्पीड डीजल (एच.सी.डी.), डब्ल्यू बीम, सेफ्टी गार्ड एवं ऑटो स्पेयर्स को खरीदकर उसका उपभोग किया जो के.बि.क. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में

स्वीकार योग्य नहीं था। न्यायिक निर्णय²⁶ के अनुसार कार्य संवेदक प्रपत्र 'सी' का व्यवहार कर राज्य के बाहर से रियायती दर पर वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं बशर्ते वस्तुएँ पुर्नबिक्री के लिए हो। नि.प्रा. कर निर्धारण को सम्पन्न करने के क्रम में (जनवरी एवं मार्च 2010 के मध्य) न तो नि.प्र.प. की जाँच की न ही प्रपत्र 'सी' सही निर्गत किया। इसके फलस्वरूप घोषणा प्रपत्र 'सी' का अनधिकृत उपयोग हुआ एवं परिणामी ₹ 5.10 करोड़ के शास्ति सहित ₹ 8.50 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

यद्यपि सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को निर्गमन सम्मेलन के दौरान उत्तर देते हुए (नवम्बर 2011) स्वीकार किया किन्तु कर के कम आरोपण की वसूली के बारे में निश्चित उत्तर नहीं दिया।

2.10.15 अन्तरराज्यीय बिक्री का अवनिर्धारण

झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) नियमावली अगले वर्ष दिसम्बर माह के अन्त तक सभी के.बि.क. घोषणा प्रपत्रों को समर्पित करना निर्धारित करता है। यद्यपि, के.बि.क. (झारखण्ड) नियमावली घोषणा प्रपत्रों के प्रस्तुती के लिए कर निर्धारण होने तक का समय निर्धारित करता है (झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण दो वर्ष के अन्दर सम्पन्न करना है) और यह भी कि कर निर्धारण के बाद भी नि.प्रा. द्वारा यथा निर्धारित अवधि में घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त दोनों प्रावधान एक दूसरे के विपरीत हैं। विवरणी के साथ घोषणा प्रपत्रों की अनिवार्य प्रस्तुतीकरण के प्रावधान नहीं होने के फलस्वरूप लेन-देन का गलत ब्यौरा विवरणी में दर्शाये जाने के कारण कम कर का भुगतान हो सकता है।

संवीक्षा के दौरान, हमने कई मामलों में पाया कि व्यवसायियों ने अपनी विवरणियों में रियायती दर पर कर के भुगतान को स्वीकार किया किन्तु कर निर्धारण के समय घोषणा प्रपत्रों को प्रस्तुत करने में असफल रहे। यद्यपि नि.प्रा. ने पूरे दर से कर लगाते हुए कर निर्धारण किया किन्तु वे के.बि.क. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्याज एवं शास्ति नहीं लगाया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

झा.मू.व.क. अधिनियम के साथ पठित के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यवसायी बिना पर्याप्त कारण के किसी कर अवधि के लिए अपनी विवरणियों के अनुसार देय कर की राशि का भुगतान नहीं करता है अथवा समुचित साक्ष्य से असमर्थित छूट/कटौती तथा कोई अन्य रियायत जिसे नि.प्रा. द्वारा अस्वीकार किया गया, अतिरिक्त निर्धारित कर पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज तथा दो प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड आरोप्य है। कर भुगतान की तिथि अथवा कर निर्धारण की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए ब्याज भुगतेय है।

हमने चार वाणिज्य कर अंचलों²⁷ में देखा कि कोयला एवं आयरन इन्सर्ट के व्यवसाय से जुड़े 13 व्यवसायियों ने 2006-08 के दौरान ₹ 1,481.10 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री पर रियायती दर पर ₹ 57.50 करोड़ के कर के लिए विवरणी दाखिल किया। चूँकि व्यवसायियों ने कर निर्धारण के समय घोषणा प्रपत्र 'सी' समर्पित नहीं किया था, नि.प्रा. कर निर्धारण सम्पन्न करने के

²⁶ बी के इंजिनियरिंग कॉरपोरेशन बनाम बिहार सरकार (1992) 87 एस.टी.सी. 509 पटना।

²⁷ चिरकुण्डा, धनबाद नगरीय, झरिया एवं कतरास।

क्रम में (मार्च 2009 एवं अप्रैल 2010 के मध्य) तदनुसार ₹ 120.89 करोड़ का कर आरोपित किया। यद्यपि पूरे दर पर कर आरोपित किया गया किन्तु नि.प्रा. ने शेष राशि ₹ 63.39 करोड़ पर ब्याज एवं शास्ति आरोपित नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 53.17 करोड़ का ब्याज एवं शास्ति आरोपित नहीं हुआ।

सरकार ने निर्गमन सम्मेलन के दौरान (नवम्बर 2011) अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और के.बि.क. अधिनियम के धारा 9 (1) के साथ झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 30 का व्यवहार कर के. बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज एवं शास्ति के आरोपण की भी पुष्टि की। तदन्तर, सरकार ने कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार वर्ष के प्रत्येक चौथाई अवधि के लिए के.बि.क. घोषणा प्रपत्रों का समर्पण अगले चौथाई अवधि के माह की 20वें दिन या उसके पहले, करने से सम्बन्धित एक नया नियम 4 ए को के. बि.क. (झारखण्ड) नियमावली में समाविष्ट किया गया है (जुलाई 2011)।

2.10.16 निष्कर्ष

विभाग ने के.बि.क. के संबंध में राजस्व के क्षरण को रोकने से सम्बन्धित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के निर्धारण/उपाय विहित करने या विद्यमान नियंत्रण प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से लागू करने में पर्याप्त क्रियाशीलता नहीं दिखाया। अ.ब्यू.शाखा, जिसे विभिन्न प्रकार के घोषणा प्रपत्रों की जाँच के साथ अन्तर्विभागीय आँकड़े/सूचनाओं के तिर्यक जाँच का कार्य सौंपा गया था, अक्रियाशील रहा। आन्तरिक लेखापरीक्षा, एवं कर की लेखापरीक्षा जो राजस्व के क्षरण को रोकने एवं विभाग के प्रभावी क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने वाला प्रबन्धकीय साधन है, अक्रियाशील रहा। समीक्षा से यह इंगित हुआ कि के.बि.क. प्राप्तियों से सम्बन्धित वा.क.वि. के कार्यकलाप पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पूर्व वर्षों के प्रतिवेदनों में दर्शायी गयी त्रुटियों, भूलों एवं चूकें अब तक विद्यमान थी।

2.10.17 अनुशंसाओं का सारांश

सरकार विचार कर सकती है:

- अंचलों में केन्द्रीय घोषणा प्रपत्रों के स्टॉक पंजी/लेखाबही के प्रारूप का मानकीकरण एवं प्रपत्रों के क्रमानुसार निर्गमन को सुनिश्चित करने;
- टैक्स ऑडिट विंग को सुदृढ़ करने, अ.ब्यू. द्वारा नियमित सर्वेक्षण कार्य, क्रय-विक्रय से सम्बन्धित आँकड़े/सूचनाओं का संग्रहण तथा लेन-देन की तिर्यक जाँच के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों एवं उपक्रमों के आँकड़े/सूचनाओं से डेटाबेस तैयार करने;
- व्यवसायियों के आँकड़े एवं उन्हें निर्गत प्रपत्रों को अपलोड करने तथा कर निर्धारण के समय टिनेक्सिस पर उपलब्ध डेटाबेस से उनके द्वारा समर्पित प्रपत्रों की जाँच करने; एवं
- विभागीय वेबसाइट और आँकड़े-केन्द्र के प्रमाणित होने के पश्चात् हस्तचालित पद्धति को ऑनलाईन पद्धति में परिवर्तन करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करने पर।

2.11 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर (मू.व.क.) के कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत जारी किए गये अधिसूचनाओं के अनुपालन नहीं किए जाने के कई मामले, क्रय/विक्रय आवर्त के छुपाये जाने, व्यवसायी के अनिबंधित होने, आवर्त का कर निर्धारण से छूट जाने, कर/अर्थदण्ड का नहीं/ कम आरोपण, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का गलत सामंजन, कर के गलत दरों के अनुप्रयोग इत्यादि के मामले प्रकाश में आये जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित हैं। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं, तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान किए गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। कर निर्धारण प्राधिकारियों की इस तरह की चूकें प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा ध्यान में लाए जाते हैं परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल बरकरार रहती हैं बल्कि लेखापरीक्षा संचालित होने तक ये अनभिज्ञात रह जाती हैं। सरकार द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण को सुदृढ़ करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

2.12 तिर्यक जाँच के परिणाम

झा.मू.व.क. अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों में प्रावधान है कि कर आधार के विस्तार हेतु अंचल प्रभारी एवं अन्वेषण ब्यूरो सर्वेक्षण के द्वारा ऐसे व्यवसायियों को चिन्हित करेंगे जिनकी अधिनियम के अन्तर्गत कर देयता तो बनती है, यद्यपि अनिबंधित रहे हैं।

नि.प्रा. द्वारा सर्वेक्षण संचालित नहीं किये जाने एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों के अभिलेखों में उपलब्ध सूचनाओं से तिर्यक जाँच नहीं किए जाने के कारण हमने अपनी संवीक्षा के दौरान ₹ 7.68 करोड़ के अत्योद्ग्रहण का पता लगाया जैसा कि कंडिका 2.12.1.1 से 2.12.1.2 में चर्चित है।

2.12.1 झा.मू.व.क./झा.वि.अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय आवर्त का छिपाया जाना

झा.मू.व.क. अधिनियम में प्रावधान है कि यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यवसायी ने कर भुगतान से बचने या टालने के उद्देश्य से विवरणी दाखिल करने में विफल रहा है, गलत या अपूर्ण विवरणी दाखिल किया है, तो वह व्यवसायी से कर के ऐसे अपबंधन के लिए देय कर का निर्धारण अथवा पुर्ननिर्धारण करेगा एवं निर्धारण किए गये कर के अतिरिक्त, दण्डस्वरूप इस प्रकार निर्धारित अतिरिक्त कर का दुगुना के समतुल्य राशि के भुगतान का निर्देश देगा।

2.12.1.1 हमने जिला खनन कार्यालय (जि.ख.का.), चाईबासा से लौह अयस्क प्रेषण संबंधी आँकड़ों को एकत्रित किया तथा वाणिज्यकर अंचल, चाईबासा के अभिलेखों के साथ उनकी तिर्यक जाँच की।

हमने देखा कि चाईबासा वाणिज्यकर अंचल के दो खनन पट्टेधारियों ने वर्ष 2007-08 में अपनी व्यापार लेखा में 28.78

लाख मीट्रीक टन लौह अयस्क का प्रेषण दर्शाया था, एवं मार्च 2010 में तदनुसार कर

निर्धारण सम्पन्न किया गया। तथापि, जि.ख.का., चाईबासा के अभिलेखों से निर्दिष्ट हुआ कि पट्टेधारियों ने उक्त अवधि के दौरान 30.38 लाख मीट्रीक टन लौह अयस्क का प्रेषण किया था। इस प्रकार, ₹ 17.43 करोड़²⁸ मूल्य के 1.60 लाख मीट्रीक टन लौह अयस्क को छिपाया गया। इसके फलस्वरूप अनिवार्य अर्थदण्ड ₹ 1.39 करोड़ सहित ₹ 2.09 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमारे द्वारा इसे बताये जाने के बाद (अक्टूबर 2010) नि.प्रा. ने एक मामला में (दिसम्बर 2011) कर निर्धारण को संशोधित किया और ₹ 1.21 करोड़ का अतिरिक्त मांग सृजित किया जब कि अन्य मामले में यह कहा गया कि (अक्टूबर 2010) मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (फरवरी 2012)।

सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार पत्र द्वारा अनुसरणित हमने जून 2011 में मामले सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

झा.वि.अधिनियम के अन्तर्गत यदि व्यवसायी ने आवर्त् के ब्यौरे को जान बूझकर छिपाया, छोड़ा या प्रकट करने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त् का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, तो विहित प्राधिकारी व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पूर्णनिर्धारण करेगा तथा छिपाये गये आवर्त् पर निर्धारित किए गये कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड जो कर के तीन गुणा से अधिक नहीं किन्तु कर के समतुल्य से कम नहीं भुगतान करने का निर्देश करेगा।

2.12.1.2 हमने जि.ख.का., चाईबासा से लौह अयस्क प्रेषण सम्बन्धी आँकड़ों को एकत्रित किया तथा वाणिज्यकर अंचल, चाईबासा के अभिलेखों के साथ उसकी तिर्यक जाँच की।

हमने देखा कि चाईबासा वाणिज्यकर अंचल के एक खनन पट्टाधारी ने वर्ष 2005-06 में अपनी व्यापार लेखा में 3.30 लाख मीट्रीक टन लौह अयस्क का प्रेषण दर्शाया था एवं अप्रैल 2010 में तदनुसार कर निर्धारण सम्पन्न किया गया। तथापि, जि.ख.का. के अभिलेखों

से निर्दिष्ट हुआ कि पट्टेधारी ने उक्त अवधि के दौरान 7.32 लाख मीट्रीक टन लौह अयस्क का प्रेषण किया था। इस प्रकार ₹ 26.61 करोड़²⁹ मूल्य के 4.02 लाख मीट्रीक टन लौह अयस्क छिपाया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 2.66 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 5.59 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

तदन्तर हमने देखा कि खनन पट्टेधारियों द्वारा खनिज की बिक्री संबंधी आँकड़ों के आदान-प्रदान हेतु दोनों विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं था। नि.प्रा. ने भी राजस्व हित में खनन विभाग से सूचना प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया।

²⁸ छिपायी गयी राशि = अ+ब जहाँ,

लौह अयस्क की दर = विक्रय मूल्य/प्रेषित मात्रा = 1433285632.45/1835950.82 = 780.68 प्रति मी.ट.

अतः वस्तु का मूल्य = 128892.32 x 780.68 = ₹ 100623656. 38-(अ)

लौह अयस्क की दर = विक्रय मूल्य/प्रेषित मात्रा = 2492001346.84/1042203.15 = ₹ 2391.09 प्रति मी.ट.

वस्तु का मूल्य = 30796.854 x 2391.09 = ₹ 73638040.07 - (ब)

²⁹ लौह अयस्क की दर = विक्रय मूल्य/प्रेषित मात्रा = 218700416/330397. 960

= ₹ 661.93 प्रति मी.ट., छिपाये गये वस्तु का मूल्य = 402012.04 x 661.93

= ₹ 266103829.64

हमारे द्वारा इसे बताये जाने के बाद (अक्टूबर 2010) नि.प्र. ने (दिसम्बर 2011) कर निर्धारण को संशोधित किया और ₹ 5.59 करोड़ का अतिरिक्त मांग सृजित किया। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार पत्र द्वारा अनुसरणित हमने जून 2011 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

राजस्व का अनिः सरण सुनिश्चित करने के लिए हम अनुशंसा करते हैं कि वाणिज्यकर विभाग में तिर्यक जाँच के उद्देश्य से अन्तरविभागीय सूचना/आँकड़ों के आदान-प्रदान हेतु एक तंत्र विकसित करने पर सरकार विचार कर सकती है।

2.13 आवर्त के निर्धारण में अनियमितताएँ

आवर्त से अभिप्राय है किसी दी गयी अवधि के दौरान प्राप्त या प्राप्य विक्रय मूल्य और संदत्त या संदेय क्रय मूल्य का योग। उचित कर निर्धारण एवं देय कर के आरोपण के लिए आवर्त का सही निर्धारण आवश्यक है। कर की देयता के निर्धारण के उद्देश्य से किसी व्यवसायी के सकलावर्त की गणना की जाती है परन्तु वास्तिक करारोपण के उद्देश्य से कर देय आवर्त के परिकलन के लिए कुछ निश्चित कटौतियाँ अनुमान्य है।

हमने देखा कि नि.प्रा. ने कर निर्धारण करते समय व्यवसायियों के कर देय आवर्त का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ठीक ढंग से नहीं किया था। इसके फलस्वरूप ₹ 178.10 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपण हुआ जैसा कि कंडिका 2.13.1 से 2.13.2 में उल्लिखित है।

2.13.1 झा.मू.व.क./झा.वि.अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

के.बि.क. अधिनियम के साथ पठित झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जान-बूझकर छिपाया, छोड़ा या प्रकट करने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है एवं विवरणित आँकड़े वास्तविक आँकड़े से कम है, तो विहित प्राधिकारी व्यवसायी द्वारा ऐसा आवर्त पर कर की राशि का निर्धारण या पुर्ननिर्धारण करेगा एवं छिपाये गये ऐसे आवर्त पर निर्धारित किए गये कर के अतिरिक्त व्यवसायी को, दण्डस्वरूप निर्धारित अतिरिक्त कर का दुगुना के समतुल्य, राशि के भुगतान करने का निर्देश देगा।

2.13.1.1 12 वाणिज्यकर अंचलों³⁰ के निर्धारण अभिलेखों में हमने देखा कि वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान 20 व्यवसायियों ने ₹ 690.66 करोड़ के क्रय/विक्रय की विवरणियाँ दाखिल की थी। जुलाई 2008 एवं मार्च 2010 के मध्य उनके द्वारा दाखिल की गयी विवरणियों के आधार पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया। तथापि, कर निर्धारण

³⁰ बोकारो, देवघर, घनबाद, घनबाद नगरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी एवं राँची दक्षिणी।

अभिलेखों³¹ की हमारी संवीक्षा से पता चला कि व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 1,087.62 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की खरीद/बिक्री की थी। तदन्तर, हमने देखा कि नि.प्रा. ने संबंधित व्यवसायियों द्वारा दाखिल की गयी प्रासंगिक सूचनाओं/अभिलेखों से विवरणियों की तिर्यक जाँच नहीं की। इस प्रकार, व्यवसायियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 396.96 करोड़ के क्रय/विक्रय आवर्त को छिपाया था। डिटरजेण्ट, रसायन, कोयला, सिलिको मैंगनिज, एम.एस.इनगॉट्स, इम्पेटिज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इत्यादि के विक्रय के छपाये जाने के कारण संगोपन हुआ। इसके फलस्वरूप अनिवार्य अर्थदण्ड ₹ 107.10 करोड़ सहित ₹ 160.65 करोड़ का कर नहीं/कम आरोपित हुआ। हम पाँच वाणिज्यकर अंचलों के पाँच व्यवसायियों के विशिष्ट मामले नीचे तालिका में उल्लेख करते हैं:

(₹ करोड़ में)

अंचल का नाम व्यवसायी का टिन	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकनों की प्रकृति	छिपाये गये आवर्त कर की दर (%)	मू.व.क. का कम आरोपण अर्थ दण्ड
राँची दक्षिणी 20960100755	2006-07 और 2007-08 मार्च 2009 और मार्च 2010	अन्य वाणिज्यकर अंचल में निबंधित एक व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच एवं घोषणा प्रपत्र 'सी' के उपयोग से पता चला कि व्यवसायी कम्पनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के वास्तविक क्रय मूल्य ₹ 144.79 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 2.76 करोड़ ही लेखापित किया।	142.03 20, 12.5 और 4	28.20 56.40
राँची पूर्वी 20430200811	2007-08 मार्च 2010	₹ 40.95 करोड़ गलत प्रारंभिक शेष के व्यावसायिक लेखे के आधार पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया जबकि 2006-07 का अंत शेष ₹ 132.47 करोड़ था, फलस्वरूप ₹ 91.52 करोड़ के आवर्त का छिपाव हुआ	91.52 20, 12.5 और 4	17.64 35.28
रामगढ़ 20781905166	2007-08 जनवरी 2010	सही आवर्त ₹ 361.15 करोड़ के बदले ₹ 302.17 करोड़ के आवर्त पर कर आरोपित किया गया।	58.98 4	2.36 4.72
गिरिडीह 20232305009	2007-08 जुलाई 2009	अभिलेखों में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ₹ 129.47 करोड़ का क्रय आकलित किया गया परन्तु व्यवसायी ने अपनी व्यापार एवं विनिर्माण लेखे में मात्र ₹ 94.32 करोड़ ही लेखापित किया था।	35.15 4	1.41 2.82
धनबाद 20561705175	2006-07 और 2007-08 फरवरी और मार्च 2009	व्यवसायी ने एक लोकक्षेत्र के उपक्रम को ₹ 21.35 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री की जिसे अपनी विवरणी में लेखापित नहीं किया।	21.35 4	0.85 1.70

जुलाई 2009 एवं मई 2011 के मध्य हमारे द्वारा बताये जाने के बाद आठ वाणिज्यकर अंचलों³² के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण संशोधित किया (जून एवं सितम्बर 2011 के बीच) एवं आठ मामलों में ₹ 66.62 करोड़ के अतिरिक्त माँग का सृजन किया। शेष मामलों में

³¹ घोषणा प्रपत्रों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, व्यवसायिक एवं विनिर्माण लेखा।

³² बोकारो, धनबाद, धनबाद नगरीय, देवघर, जमशेदपुर, पाकुड़, रामगढ़ और राँची दक्षिणी।

निर्धारण प्राधिकारियों ने जुलाई 2009 एवं मई 2011 के मध्य कहा कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

के.बि.क. अधिनियम के साथ पठित झा.वि. अधिनियम के अन्तर्गत, यदि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जान-बूझकर छिपाया, छोड़ा या प्रकट करने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, तो सक्षम प्राधिकारी व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुर्ननिर्धारण करेगा तथा छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित किए गये कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड, जो कर के तीन गुणा से अधिक नहीं किन्तु कर के समतुल्य से कम नहीं है, भुगतान करने का निर्देश देगा।

2.13.1.2 चार वाणिज्यकर अंचलों³³ के कर निर्धारण अभिलेखों में हमने देखा कि वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान चार व्यवसायियों ने ₹ 12 करोड़ के क्रय/विक्रय की विवरणियाँ दाखिल की थी एवं सितम्बर 2007 एवं मार्च 2010 के मध्य उनके द्वारा दाखिल की गयी विवरणियों के आधार पर कर निर्धारित सम्पन्न किया गया। तथापि, कर निर्धारण अभिलेखों यथा अंकक्षित वार्षिक लेखा, व्यापार एवं विनिर्माण लेखा के साथ ही दूसरे वाणिज्यकर अंचल से एकत्रित सूचनाओं की तिर्यक जाँच से पता चला कि व्यवसायियों ने

वास्तव में ₹ 81.31 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की खरीद/बिक्री की थी। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 69.31 करोड़ के क्रय/विक्रय आवर्त को छिपाया था। तदन्तर, हमने देखा कि निर्धारण प्राधिकारियों ने संबंधित व्यवसायियों द्वारा दाखिल की गयी प्रासंगिक सूचनाओं/अभिलेखों से विवरणियों की तिर्यक जाँच नहीं की। इसके फलस्वरूप अनिवार्य अर्थदण्ड ₹ 7.50 करोड़ सहित ₹ 15.75 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण हुआ।

नवम्बर 2009 तथा अगस्त 2010 के बीच हमारे द्वारा मामले बताये जाने के बाद तीन वाणिज्यकर अंचलों³⁴ के नि.प्रा. ने तीन मामले में कर निर्धारण को संशोधित किया और ₹ 15.16 करोड़ का अतिरिक्त मांग सृजित किया (जून और नवम्बर 2011 के मध्य) जब कि अन्य निर्धारण प्राधिकारियों ने जनवरी एवं सितम्बर 2010 के मध्य कहा कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार पत्र द्वारा अनुसरणित के साथ हमने मामला सरकार को जून 2011 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

³³ चिरकुण्डा, जमशेदपुर, जमशेदपुर नगरीय एवं राँची दक्षिणी।

³⁴ जमशेदपुर, जमशेदपुर नगरीय और राँची दक्षिणी।

2.13.2 झा.मू.व.क./झा.वि.अधिनियम के अन्तर्गत सकलावर्त का गलत निर्धारण

बिक्री कर आरोपण के उद्देश्य से सकलावर्त (स.आ.) व्यवसायी द्वारा अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में राज्य के बाहर वस्तुओं की बिक्री अथवा निर्यात सहित प्राप्त या प्राप्य सकल विक्रय राशि को योग है। तदन्तर, झा.वि. अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी को निर्धारित कर का 10 प्रतिशत की दर से अधिभार का भुगतान करना है।

2.13.2.1 चार वाणिज्य कर अंचलों³⁵ में निर्बंधित कोयला, एम. एस.इनगॉट्स एवं स्क्रेप के व्यवसाय में संलग्न चार निर्धारितियों के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के कर निर्धारण अभिलेखों की हमने नमूना जाँच की। कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध सूचनाओं यथा, अंकेक्षित वार्षिक लेखा, व्यापार, लाभ एवं

हानि लेखा, मू.व.क. अंकेक्षित प्रतिवेदन, वार्षिक विवरणी इत्यादि की हमारी संवीक्षा से पता चला कि निर्धारितियों ने वास्तव में ₹ 800.14 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की बिक्री की थी। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने मार्च 2009 एवं फरवरी 2010 के बीच कर निर्धारण सम्पन्न करते समय इन अभिलेखों से तिर्यक जाँच नहीं की एवं ₹ 790.86 करोड़ का सकल आवर्त निर्धारित किया। इसके फलस्वरूप ₹ 9.28 करोड़ के सकलावर्त का कम निर्धारण हुआ एवं परिणामी ₹ 57.13 लाख के कर का अल्पारोपण हुआ।

नवम्बर 2009 एवं दिसम्बर 2010 के बीच हमारे द्वारा मामले बताये जाने के बाद नि.प्रा. देवघर एवं झरिया ने (अगस्त एवं सितम्बर 2011 के बीच) आपत्तिग्रस्त सम्पूर्ण राशि के लिए अतिरिक्त माँग का सृजन किया जबकि नि.प्रा.चिरकुण्डा वाणिज्यकर अंचल ने कहा (जनवरी 2010) कि सकलावर्त में अन्तर कोयले की मात्रा में ग्रेड स्लिपेज के कारण हुआ। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि नि.प्रा. ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय ग्रेड स्लीपेज की कटौती को अस्वीकार किया था। नि.प्रा. कतरास ने नवम्बर 2009 में कहा कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012) ।

2.13.2.2 हमने देवघर वाणिज्यकर अंचल के एक निर्धारिती के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान देखा (मार्च 2010) कि नि.प्रा. 2004-05 अवधि की मार्च 2009 में कर निर्धारण करते समय ₹ 33.64 करोड़ का सकलावर्त निर्धारित किया। तथापि, निर्धारण अभिलेख में उपलब्ध अंकेक्षित वार्षिक लेखे की हमारी संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2004-05 के दौरान वास्तविक सकलावर्त ₹ 46.46 करोड़ का था। तदन्तर, हमने देखा कि नि.प्रा ने संबंधित व्यवसायियों द्वारा दाखिल की गयी प्रासंगिक सूचनाओं से विवरणियों की तिर्यक जाँच नहीं की। इसके फलस्वरूप ₹ 12.82 करोड़ के सकलावर्त का कम निर्धारण हुआ एवं परिणामी ₹ 10.26 लाख के अधिभार सहित ₹ 1.13 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

मार्च 2010 में हमारे द्वारा मामला बताये जाने के बाद नि.प्रा. ने सम्पूर्ण आपत्तिग्रस्त राशि के लिए अतिरिक्त माँग का सृजन किया (सितम्बर 2011)। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012) ।

³⁵ चिरकुण्डा, देवघर, झरिया एवं कतरास ।

सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार पत्र द्वारा अनुसरणित हमने मामला सरकार को जून 2011 में प्रतिवेदित किया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012) ।

2.14 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों एवं दरों की अनुसूचियों के अन्तर्गत मोटर वाहन के कम्पोनेन्ट्स एवं पार्ट्स, चमड़े का उत्पाद, स्नैक्स सामग्री, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अलावे अन्य को बिक्री गयी केरोसिन ऑयल 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है। मार्च 2007 में जारी अधिसूचना के अंतर्गत अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीडनफोर्ड (ए.सी.एस.आर.) एवं अर्थमूविंग मशीन की बिक्री पर पूर्व में 12.5 प्रतिशत से घटाकर कर की दर चार प्रतिशत कर दिया गया। तदन्तर न्यायिक निर्णय* के अनुसार कोयला तथा कोयला ब्रिकेट दो भिन्न वाणिज्यिक वस्तुएँ हैं एवं कर प्रदत्त कोयला से बने ब्रिकेट अलग से करारोप्य हैं।

* मेसर्स सोनभद्र फ्यूएल्स बनाम सी.सी.टी., यू.पी., 14 एस.टी.सी., एस.सी.

हमने चार वाणिज्यकर अंचलों के दस व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की जिससे उद्घटित हुआ कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिए अप्रैल 2008 एवं मार्च 2010 के मध्य कर निर्धारण सम्पन्न करते समय ₹ 113.71 करोड़ मूल्य की मोटर वाहन के कम्पोनेन्ट्स एवं पार्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, स्नैक्स सामग्री, सुपीरियर केरोसिन ऑयल (एस.के.ओ.) अर्थ मूविंग मशीन, ए.सी.एस.आर

एवं कोयला ब्रिकेट्स की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की सही दर के बदले चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों एवं अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के फलस्वरूप ₹ 9.66 करोड़ के कर का अल्पावरोपण हुआ जैसा कि निम्न तालिका में उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	व्यवसायियों की संख्या अंचल	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकनों की प्रकृति	कर का कम आरोपण
1.	दो राँची दक्षिणी	2006-07 एवं 2007-08 मार्च 2009 एवं मार्च 2010 में मध्य	2006-08 की अवधि में ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज (ओ.एम.सी.) को ₹ 58.61 करोड़ मूल्य की एस.के.ओ. की बिक्री तथा अप्रैल 2006 से फरवरी 2007 की अवधि में ₹ 8.31 करोड़ मूल्य की ए.सी.एस.आर. की बिक्री पर कर का सही दर 12.5 प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत गलत दर से करारोपण किया गया।	5.69
2.	चार राँची विशेष	2006-07 से 2008-09 अप्रैल 2008 एवं मार्च 2010 के मध्य	2006-07 से 2008-09 की अवधि में ₹ 24.62 करोड़ मूल्य के मोटर वाहन के कम्पोनेन्ट्स तथा पार्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, स्नैक्स सामग्री एवं इनवर्टर की बिक्री पर कर का सही दर 12.5 प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत गलत दर से करारोपण किया गया।	2.09
3.	तीन राँची पूर्वी	2006-07 और 2007-08 जून 2008 और मार्च 2010 के बीच	2006-08 की अवधि में ₹ 1.36 करोड़ मूल्य के मोटर वाहन के कम्पोनेन्ट एवं पार्ट्स तथा एस.के.ओ. की ₹ 12.44 करोड़ मूल्य के ओ.एम.सी. की बिक्री पर कर के सही दर 12.5 प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत गलत दर से करारोपण किया गया। तदन्तर, अप्रैल 2006 से फरवरी 2007 की अवधि में ₹ 5.63 करोड़ मूल्य के अर्थमूविंग मशीन की बिक्री पर कर के सही दर 12.5 प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत गलत दर से करारोपण किया गया।	1.65

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	व्यवसायियों की संख्या अंचल	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकनों की प्रकृति	कर का कम आरोपण
4.	एक तेनुघाट	2007-08 मार्च 2010	2007-08 के दौरान ₹ 2.74 करोड़ मूल्य के कोयला ब्रिकेट्स की बिक्री पर कर के सही दर 12.5 प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत गलत दर से करारोपण किया गया।	0.23
कुल				9.66

मार्च 2010 एवं जनवरी 2011 के मध्य हमारे द्वारा मामले बताये जाने के बाद तीन वाणिज्यकर अंचलों³⁶ के नि.प्र. ने सितम्बर 2010 तथा सितम्बर 2011 के मध्य सात मामलों में ₹ 7.09 करोड़ के अतिरिक्त माँग का सृजन किया। शेष मामलों में नि.प्रा. ने सितम्बर 2010 एवं जनवरी 2011 के मध्य कहा कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012) ।

सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार पत्र द्वारा अनुसरणित हमने मामला सरकार को जून 2011 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

2.15 इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकृति में अनियमितताएँ

झा.मू.व.क. अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत व्यवसायी के आई.टी.सी. के दावे के समर्थन में पूर्ववर्ती मू.व.क. व्यवसायी द्वारा निर्गत बिक्री के पूर्वचरण पर उक्त वस्तुओं पर कर आरोपित होने के साक्ष्य दर्शाते हुए घोषणा प्रपत्र झा.मू.व.क. 404 प्रस्तुत करेगा। तदन्तर, जब तक कर अवधि में भुगतान किए गये इन पुट टैक्स की राशि की विस्तृत विवरणी सहित प्रमाणीकृत मूल बीजक प्राप्त नहीं करता है, व्यवसायी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जायेगा एवं वैसे मामलों में, जहाँ कर देय बिक्री कुल मूल्य का पाँच प्रतिशत अथवा उससे कम है, तो व्यवसायी उस कर अवधि में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के योग्य नहीं होगा। नि.प्रा. गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपभोग के लिए दण्डस्वरूप उपभोगित गलत इनपुट टैक्स की दुगुनी राशि के समतुल्य राशि के भुगतान का निर्देश देगा।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों के तीन व्यवसायियों के 2006-07 एवं 2007-08 के अवधि के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (मार्च 2010 से दिसम्बर 2010) जिससे पता चला कि तीन व्यवसायियों ने ₹ 67.93 करोड़ मूल्य के राज्यान्तर्गत क्रय पर ₹ 1.02 करोड़ का अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2009 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य कर निर्धारण सम्पन्न करते समय इसे स्वीकार किया। इसके फलस्वरूप, अनिवार्य अर्थदण्ड ₹ 2.04 करोड़ सहित ₹ 3.06

करोड़ के अमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट दी गयी जैसा निम्न तालिका में उल्लिखित है :

³⁶ राँची पूर्वी, राँची विशेष एवं राँची दक्षिणी।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	व्यवसायियों की संख्या अंचल	अवधि कर निर्धारण का माह	अवलोकन की प्रकृति	अमान्य आई.टी.सी. आरोप्य अर्थदण्ड
1.	एक राँची विशेष	2006-07 अक्टूबर 2010	व्यवसायी को ₹ 23.36 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की राज्यान्तर्गत क्रय पर ₹ 84.07 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान की गयी यद्यपि ये क्रय घोषणा प्रपत्र झा. मू.व.क. 404 से समर्थित नहीं थी।	84.07 168.14
2.	एक झरिया	2007-08 फरवरी 2010	व्यवसायी को ₹ 43.79 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की राज्यान्तर्गत खरीद पर ₹ 15.25 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान की गयी यद्यपि कर देय बिक्री (₹ 10.79 करोड़) सकलावर्त (₹ 267.83 करोड़) का पाँच प्रतिशत से कम था।	15.25 30.50
3.	एक चाईबासा	2007-08 दिसम्बर 2009	2006-07 के दौरान ₹ 77.74 लाख के वस्तुओं की राज्यान्तर्गत क्रय पर ₹ 2.99 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ष 2007-08 में मान्य नहीं था।	2.99 5.98
कुल				102.31 204.62

हमारे द्वारा मामले बताये जाने के बाद संबंधित नि.प्रा.ने अक्टूबर 2010 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य ₹ 1.35 करोड़ के अतिरिक्त माँग का सृजन किया । तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012) ।

सितम्बर 2011 में निर्गत अनुगामी स्मार के साथ जून 2011 में हमने मामला सरकार को प्रतिवेदित किया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012) ।

2.16 छूट की स्वीकृति में अनियमितताएँ

अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं के अधीन विशिष्ट उद्देश्य के लिए सीमा एवं शर्तों के साथ मू.व.क. के आरोपण से छूट की अनुमति दी जाती है। यह आवश्यक है कि नि.प्रा. यह सुनिश्चित करे कि छूट की अनुमति अधिनियमों के प्रावधानों और अधिसूचनाओं के अनुसार दिया गया है तथा विनिर्दिष्ट सीमा एवं शर्तों को पूरा करता है।

तथापि, हमारी संवीक्षा ने नि.प्रा. द्वारा सम्पन्न किये गये निर्धारण में बहुत सी त्रुटियों को इंगित किया जिसमें गलत/अधिक कर की छूट दी गयी। ₹11.99 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण के कुछ दृष्टान्त अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित हैं :

झा.मू.व.क. अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत, कार्य संवेदकों के कर योग्य आवर्त के परिकलन के लिए उनके सकलावर्त से कुछ निश्चित कटौतियों की अनुमति दी गयी है। जैसे मामले जहाँ श्रम, सेवा अन्य सदृश्य प्रभार की राशि संविदा के शर्त एवं अनुबंध अथवा प्रस्तुत लेखे के आधार पर सुनिश्चित नहीं हो सके तो ऐसे प्रभार की अनुमान्य राशि असैन्य संविदा के सम्बन्ध में कुल प्राप्त या प्राप्य राशि का 30 प्रतिशत होगा।

2.16.1 हमने सिंहभूम एवं देवघर वाणिज्यकर अंचलों के तीन संवेदकों के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की जिससे पता चला कि इन संवेदकों ने अपनी सकलावर्त ₹ 38.22 करोड़ से श्रम एवं अन्य प्रभार के लिए ₹ 29.02 करोड़ के कटौती का दावा किया। नि.प्रा. ने मार्च 2009 एवं जनवरी 2010 के बीच कर निर्धारण सम्पन्न करते समय इन कटौतियों के दावे के

तत्संबंधी साक्ष्य के आधार पर ₹ 26.59 करोड़ पर सीमित किया। तथापि, हमने अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रम एवं अन्य सदृश्य प्रभार की अनुमान्य कटौतियाँ ₹ 11.47 करोड़ परिकलित किया। नि.प्रा. द्वारा झा.मू.व.क. नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप उनके सकलावर्त से ₹ 15.12 करोड़ के अधिक कटौती की अनुमति दी गयी एवं परिणामी ₹ 1.89 करोड़ कर का अल्पारोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामला बताये जाने के बाद सिंहभूम वाणिज्यकर अंचल के नि.प्रा. ने दो मामले में कर निर्धारण में संशोधन किया (नवम्बर 2011) और ₹ 1.74 करोड़ का अतिरिक्त मांग सृजित किया। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

झा.मू.व.क. अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत राज्यान्तर्गत एक शाखा से दूसरी शाखा में वस्तुओं की भण्डार अन्तरण के दावे पर कर से छूट के लिए अन्तरिती द्वारा निर्गत घोषणा प्रपत्र झा.मू.व.क. 506 से समर्थित होने की आवश्यकता है। जुलाई 2007 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार सिगरेट को कर मुक्त वस्तुओं की सूची से हटा लिया गया एवं 1 अप्रैल 2007 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय हो गया।

2.16.2 पलामू एवं रामगढ़ वाणिज्य कर अंचलों में दिसम्बर 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य कर निर्धारण अभिलेखों में हमने देखा कि दो निर्धारितियों ने वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान ₹ 230.32 करोड़ मूल्य के कोयले के राज्यान्तर्गत अपनी शाखाओं में भण्डार अन्तरण पर कर से छूट का दावा किया। प्रभावित अंतरण के लिए घोषणा प्रपत्र न तो अभिलेख में पायी

गयी न ही इनके प्रस्तुतीकरण की चर्चा जनवरी 2009 एवं फरवरी 2010 में नि.प्रा. द्वारा सम्पन्न कर निर्धारण में किया गया। इन घोषणा प्रपत्रों के अभाव में निर्धारिती कर से छूट के हकदार नहीं थे। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर से भुगतान का गलत छूट देने के फलस्वरूप ₹ 9.21 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

2.16.3 देवघर वाणिज्यकर अंचल में कर निर्धारण अभिलेखों में हमने देखा (दिसम्बर 2010) कि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान एक निर्धारिती के ₹ 7.09 करोड़ के सिगरेट की बिक्री पर कर भुगतान से छूट के दावे को नि.प्रा. ने सिगरेट को कर मुक्त वस्तु मानते हुए

स्वीकार कर लिया (फरवरी एवं सितम्बर 2010)। चूँकि सिगरेट 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है, नि.प्रा. द्वारा गलत छूट दिए जाने के फलस्वरूप ₹ 88.58 लाख के कर का अल्पारोपण हुआ।

सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार द्वारा अनुसरणित जून 2011 में हमने मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

2.17 पारगमन बिक्री पर छूट की गलत अनुमति

के.बि.क.अधिनियम के अन्तर्गत पारगमन बिक्री के दावे पर करारोपण से छूट है यदि बिक्री वस्तुओं के स्वामित्व प्रलेख के स्थानान्तरण द्वारा उसके संचलन के क्रम में हुआ हो, एवं ऐसी परवर्ती बिक्री संचलन के उसी क्रम में होनी चाहिए जिसमें पूर्ववर्ती बिक्री हुआ हो, बशर्ते घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'ई'-I प्रस्तुत करे।

तीन वाणिज्य कर अंचलों³⁷ के चार व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों में मार्च 2010 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य हमने देखा कि वर्ष 2005-06 से 2007-08 की अवधि के कर निर्धारण सम्पन्न करते समय (फरवरी 2009 एवं मार्च 2010 के बीच) नि.प्रा. ने ₹ 27.37 करोड़ मूल्य के पारगमन बिक्री पर छूट प्रदान की, यद्यपि ये बिक्रियाँ या तो प्रपत्र 'सी'

से समर्थित नहीं थी अथवा परवर्ती बिक्री संचलन के उसी क्रम में नहीं हुआ था। इसके फलस्वरूप ₹ 3.23 करोड़ का कर से गलत छूट प्रदान किया गया।

मार्च 2010 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य हमारे द्वारा मामला बताये जाने के बाद राँची विशेष वाणिज्यकर अंचल के नि.प्रा. ने नवम्बर एवं दिसम्बर 2010 के बीच दो मामलों में ₹ 4.23 लाख के अतिरिक्त माँग का सृजन किया जब कि अन्य नि.प्रा. ने जून एवं दिसम्बर 2010 के मध्य कहा कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार द्वारा अनुसरणित हमने जून 2011 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

2.18 निर्यात बिक्री पर छूट की अनियमित स्वीकृति

के.बि.क.अधिनियम एवं उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत, भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम में वस्तुओं की बिक्री पर कर आरोप्य नहीं है अगर बिक्री वैसी वस्तुओं के निर्यात के अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के अलावा निर्यातक द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र "एच" से समर्थित हो। तदन्तर नेपाल को किए गये निर्यात के दावे भारत के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा निर्गत निर्यात के विपत्रों से समर्थित होनी चाहिए।

कतरास एवं राँची विशेष वाणिज्यकर अंचलों के कर निर्धारण अभिलेखों में हमने देखा (मार्च एवं नवम्बर 2010) कि रिफेक्टरी ब्रिक्स एवं सिमेण्ट के व्यापार में संलग्न दो व्यवसायियों के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 की अवधि के कर निर्धारण मार्च 2009 एवं मार्च 2010 के बीच सम्पन्न करते समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने नेपाल को की गयी

³⁷ धनबाद नगरीय, झरिया एवं राँची विशेष।

₹ 78.81 लाख मूल्य की निर्यात बिक्री पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की, यद्यपि लेन-देन भारत के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित निर्यात विपत्र से समर्थित नहीं था। इसके फलस्वरूप छूट की गलत स्वीकृति दी गयी एवं परिणामी ₹ 5.56 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ।

मार्च 2010 एवं नवम्बर 2010 के बीच हमारे द्वारा मामले बताये जाने के बाद राँची विशेष वाणिज्यकर अंचल के नि.प्रा. ने अप्रैल 2011 में वा.क.आ. के द्वारा मामले को वापस करने के पश्चात पुनः कर निर्धारण आदेश के तहत ₹ 3.54 लाख के अतिरिक्त माँग का सृजन किया, जब कि कतरास वाणिज्यकर अंचल के नि.प्रा. ने नवम्बर 2010 में कहा कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार पत्र द्वारा अनुसरणित हमने जून 2011 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

2.19 अर्थदण्ड का नहीं/कम लगाया जाना

झा.मू.व.क. अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत एक व्यवसायी जिसका सकलावर्त्त किसी वर्ष में ₹ 40 लाख से अधिक है, उसे उस वर्ष के समाप्ति से नौ माह के अन्दर प्रपत्र झा.मू.व.क. 409 में वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें विफल होने पर कर निर्धारण प्राधिकारी आवर्त्त का, जैसा वह निर्धारित करे, 0.1 प्रतिशत के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

2.19.1 हमने झरिया वाणिज्यकर अंचल के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की जिससे पता चला कि दो निर्धारितियों ने वर्ष 2007-08 के लिए प्रपत्र झा.मू.व.क. 409 में वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था। हमारी संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि नि.प्रा. फरवरी 2010 और अप्रैल 2010 के बीच संशोधित कर निर्धारण सम्पन्न करते समय

निर्धारित सकलावर्त्त ₹ 485.23 करोड़ पर वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर ₹ 48.52 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 48.52 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

जनवरी 2011 में हमारे द्वारा मामला बताये जाने के बाद नि.प्रा. ने कर निर्धारण को संशोधित किया (अगस्त 2011) एवं ₹ 48.52 लाख के अतिरिक्त माँग का सृजन किया।

सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार पत्र द्वारा अनुसरणित जून 2011 में हमने मामला सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

झा.वि.अधिनियम के अन्तर्गत कोई निबंधित व्यवसायी किसी भी व्यक्ति से वस्तुओं की बिक्री पर कर दायित्व से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा। उक्त प्रावधान का किसी प्रकार से उल्लंघन करने पर विहित प्राधिकारी ऐसी संग्रहित कर की राशि के दुगुना की समतुल्य राशि, अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का निर्देश देगा।

2.19.2 हमने चिरकुण्डा वाणिज्यकर अंचल के कर निर्धारण अभिलेखों में देखा (नवम्बर 2009) कि एक व्यवसायी वर्ष 2005-06 के दौरान वस्तुओं की बिक्री पर ₹ 2.01 करोड़ के कर का संग्रहण किया। नि.प्रा. ने जनवरी 2009 में कर निर्धारण सम्पन्न करते समय ₹ 1.93 करोड़ के कर का आरोपण किया। इस प्रकार निर्धारिती ने अपने कर दायित्व से

₹ 8.32 लाख अधिक का संग्रहण किया। अनिवार्य अर्थदण्ड ₹ 16.64 लाख यद्यपि आरोप्य था, नहीं लगाया गया।

हमारे द्वारा मामला बताये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने कहा (जनवरी 2010) कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार पत्र के द्वारा अनुसरणित हमने जून 2011 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012)।

2.20 कर की संगणना में भूल

के.बि.क. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण अत्यन्त सावधानी एवं दक्षता से सम्पन्न करनी है। उसे कर की संगणना सही रूप से अपने सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के साथ करना चाहिए।

हमने चिरकुण्डा एवं तेनूघाट वाणिज्यकर अंचलों में दो व्यवसायियों के मामले में देखा कि नि.प्रा. ने 2005-06 एवं 2007-08 की अवधि के के.बि.क. का कर निर्धारण सम्पन्न करते समय (जनवरी 2009 एवं मार्च 2010 के बीच) अंकगणितीय भूल के

कारण सही कर की राशि ₹ 7.27 करोड़ के बदले ₹ 5.54 करोड़ का गलत कर आरोपित किया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ के कम कर का आरोपण हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (नवम्बर 2011) एवं कहा कि सम्बन्धित अंचलों को इसके अनुपालन हेतु निर्देश दिए जा रहे थे एवं इसका अनुश्रवण मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा।